ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

सूचना

इसके द्वारा **सूचना** दी जाती है कि ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारियों की इकतीसवाँ वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2007, शुक्रवार, को 10 00 बजे सिरि फ़ोर्ट ऑडिटोरियम नंबर 1, सिरि फ़ोर्ट कल्चरल काम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 049 में निम्नोक्त कार्य निपटाने के लिए आयोजित होगी :-

साधारण कार्य :

1. 2006-07 वर्ष के निदेशकों के प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के परीक्षित तुलन-पत्र तथा दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे को, तत्संबंधी लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना ।
2. लाभांश की घोषणा करना ।
3. आवर्ती निदेशक के रूप में सेवा-निवृत्त होनेवाले और पुनर्नियुक्ति के पात्र श्री राकेश श्रीवास्तव के स्थान पर निदेशक को नियुक्त करना ।
4. आवर्ती निदेशक के रूप में सेवा-निवृत्त होनेवाले और पुनर्नियुक्ति के पात्र डॉ. एस.नरसिंहाराव के स्थान पर निदेशक को नियुक्त करना ।
5. आवर्ती निदेशक के रूप में सेवा-निवृत्त होनेवाले और पुनर्नियुक्ति के पात्र श्री ए.के.धर के स्थान पर निदेशक को नियुक्त करना ।
6. निम्नोक्त संकल्प को परिवर्तित करते हुए या किए बिना साधारण संकल्प के रूप में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान के लिए पारित करना :

   '**संकल्प किया जाता है कि** समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 224 की उपधारा (8) के खण्ड वाक्य (कक) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक कम्पनी, सर्वश्री श्रीराममूर्ति एण्ड कम्पनी, विशाखपट्नम का पारिश्रमिक 2006-07 वर्ष के लिए रु.2.50 लाख (रुपये दो लाख पचास हज़ार मात्र) का हो और इसके द्वारा वही निर्धारित किया जाता है ।'

निदेशक मण्डल के आदेश से

स्थान : विशाखपट्नम | **(के.अश्विनी श्रीकांत)**
दिनांक : 20.08.2007 | **कम्पनी सचिव**

ध्यान दें :

1. **जो सदस्य बैठक में भाग लेकर मत देने का अधिकार रखते हैं, वे अपनी ओर से बैठक में भाग लेकर मत देने के लिए किसी प्रतिपत्री को नियुक्त कर सकते हैं । इस तरह नियुक्त प्रतिपत्री का, इस समवाय का सदस्य होना ज़रूरी नहीं । उस प्रतिपत्री को नियुक्त करते हुए जारी किए गए दस्तावेज़ को, बैठक आयोजित होने के निश्चित समय से पहले, परन्तु 48 घण्टों के बाद नहीं, इस समवाय के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना होगा ।**
2. इस कम्पनी की सदस्य पंजी और शेयर अंतरण बहियाँ दिनांक 8 सितम्बर, 2007 से 28 सितम्बर, 2007 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रहेंगी ।
3. दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों द्वारा सिफ़ारिश किए गए अनुसार ईक्विटी शेयरों पर लाभांश यदि इस वार्षिक साधारण बैठक में घोषित हो, तो उन शेयरधारियों को अदा किया जाएगा, जिनके नाम :

   क) इलेक्ट्रानिक रूप में धारित शेयरों के विषय में जमाकर्ताओं द्वारा दी जानेवाली सूची के अनुसार, 7 सितम्बर, 2007 के व्यापार समय के अंत तक हितभागी स्वामित्ववालों के रूप में हों और

   ख) 7 सितम्बर, 2007 तक या उससे पहले इस समवाय / आर एण्ड टी एजेण्ट के यहाँ प्रस्तुत वस्तुगत रूप में किए गए सभी वैध शेयर अंतरणों के लिए प्रभावी करने के बाद सदस्य-पंजी में सदस्यों के रूप में रहे हों ।
4. क) वस्तुगत रूप में शेयरधारिता रखनेवाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक संबंधी विवरण 7 सितम्बर, 2007 तक हमारे आर एण्ड टी एजेन्ट - सर्वश्री कॉर्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं.17 से 24 तक, विठल राव नगर, हैदराबाद - 500 081 के पते पर भेजें ताकि लाभांश वारंटों पर उनको दर्ज किया जा सके ।

   ख) इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारी कृपया यह ध्यान दें कि उनके जमाकर्ताओं द्वारा इस समवाय को दिए गए बैंक विवरणों को उनके लाभांश वारन्टों पर जमाकर्ता संबंधी लागू विनियमों के अनुसार मुद्रित कराया जाएगा और ऐसे बैंक विवरणों में से किसी भाग को निकाल देने / बदलने के लिए ऐसे शेयरधारियों के किसी भी प्रत्यक्ष अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । अत: जो शेयरधारी अपने बैंक विवरण बदलना चाहते हैं, वे अपने जमाकर्ता सहभागियों को ऐसे परिवर्तनों के बारे में पूरे बैंक खाता विवरण सहित बताएं । यदि कोई अनुदेश उनके द्वारा वस्तुगत रूप में धारित शेयरों के विषय में, पहले से ही दिए जा चुके हों, वे इलेक्ट्रानिक पद्धति में धारित शेयरों के विषय में अपने-आप से लागू नहीं होंगे ।
5. इलेक्ट्रानिक निकासी सेवा (इ.नि.से.) सुविधा :

   लाभांश के भुगतान के विषय में, यह समवाय इलेक्ट्रानिक रूप में और भौतिक रूप में शेयर धारित सभी शेयरधारियों के लिए इ.नि.से. (ई.सी.एस.) की सुविधा उपलब्ध नगरों में, इ.नि.से. (ई.सी.एस.) की सुविधा की व्यवस्था करता है ।

   वस्तुगत रूप से शेयरधारण करनेवाले जो शेयरधारी इ.नि.से. की सुविधा उपलब्ध करना चाहते हैं, वे इस समवाय को उस निर्धारित प्रपत्र में इ.नि.से. संबंधी विवरणों के साथ प्राधिकार दें जिसको वे पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता सर्वश्री कॉर्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध कर प्राप्त कर सकते हैं । वर्ष 2006-07 के लिए इ.नि.से. द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए अपनी विनतियाँ सर्वश्री कॉर्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ 7 सितम्बर, 2007 तक या उससे पहले प्रस्तुत करने होंगे ।
6. क) वस्तुगत रूप में शेयरवाले शेयरधारियों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो, तो इस समवाय के आर एण्ड टी एजेन्ट - सर्वश्री कॉर्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, को 7 सितम्बर, 2006 को या उससे पहले अवश्य सूचित करें ।

   ख) डीमेटीरियलाइज रूप में शेयरवाले शेयरधारियों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, उसके बारे में अपना ग्राहक पहचान पत्र संख्या उद्धृत करते हुए, अपने संबंधित जमाकर्ता सहभागियों को शीघ्र ही सूचित करें ।
7. सदस्यों से यह ध्यान देने का अनुरोध है कि समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 205 अ(5) और साथ-साथ 205 इ के प्रावधानों के अनुसरण में, समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 205 के अनुसरण में, अदत्त लाभांश लेखे को अंतरित होने की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए दावा / अदा न होकर रह गए लाभांश को केन्द्रीय

सरकार से गठित 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि' (नि.शि.सं.नि.) में जमा किया जाएगा । जिन सदस्यों ने अब तक लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इस समवाय से उसका दावा करें, क्योंकि उक्त निधि में एक बार जमा की गई वैयक्तिक राशियों के विषय में उस निधि या इस समवाय के विरुद्ध कोई दावा नहीं हो सकेगा । दिनांक 29.09.2000 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में घोषित, वर्ष 1999-2000 का न दावा किया गया अंतिम लाभांश का अंतरण दिनांक 08.11.2007 तक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में होना है और दिनांक 23.06.2001 को निदेशक मण्डल से घोषित वर्ष 2000-2001 संबंधी अंतरिम लाभांश का अंतरण दिनांक 25.07.2008 को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में होना है ।

जिन शेयरधारियों ने अब तक अपने लाभांश वारन्टों को नहीं भुनाया हो, उनसे अनुरोध है कि वे इस समवाय के पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता - सर्वश्री कॉर्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड को शीघ्र लिखकर वारन्ट/वारन्टों की दूसरी प्रति जारी कराकर उनको पा सकते हैं । शेयरधारियों से यह ध्यान देने का अनुरोध है, भुगतान के लिए पहली बार देय बनी तिथियों से 7(सात) वर्षों की अवधि के लिए दावा न की गईं और अदा न की गईं किन्हीं भी राशियों के विषय में इस समवाय या उक्त निधि के विरुद्ध कोई भी दावे नहीं रहेंगे ।

8. समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 109 क को लागू करने के फलस्वरूप, शेयरधारी उनके द्वारा वस्तुगत रूप में रहे शेयरों के विषय में नामांकन करने के हकदार हैं । जो शेयरधारी नामांकन भेजना चाहते हों, उनसे अनुरोध है कि वे अपने-अपने अनुरोध फार्म 2 ख में (जिनको अनुरोध पर प्राप्त किया जा सकता है) पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता - सर्वश्री कॉर्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड को भेजें ।

9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक प्रतिवेदन की अपनी-अपनी प्रतियाँ बैठक में लाएँ । बैठक में उपस्थित होनेवाले सदस्यों / प्रतिपत्रियों को उपस्थिति पर्ची विधिवत भरकर, हस्ताक्षर कर बैठक के स्थान पर सौम्प देना होगा ।

10. जो निगमित सदस्य वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजना चाहते हैं, उनसे कहा जाता है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का प्राधिकार देते हुए मण्डल के संकल्प की विधिवत प्रमाणित नकल को भेजें ।

11. जो सदस्य लेखों के संबंध में कोई जानकारी मांगते हों, उनसे अनुरोध है कि वे शीघ्रातिशीघ्र इस समवाय को लिखें ताकि वह जानकारी तैयार रखी जा सके ।

12. सभा कक्ष में प्रवेश सर्वथ प्रवेश-पर्ची से ही हो सकता है जिनको निर्धारित स्थान के काउण्टरों से और उपस्थिति-पर्ची प्रस्तुत कर पाया जा सकता है ।

13. शेयरधारी कृपया यह ध्यान दें कि बैठक में कोई भी भेंट / भेंट कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे ।

14. सभा कक्ष के अंदर ब्रीफ़-केस या बैग ले जाना मना है ।

15. वर्तमान वार्षिक साधारण बैठक में, श्री राकेश श्रीवास्तव, डॉ.एस.नरसिंहाराव और श्री ए.के.धर आवर्ती रूप से सेवा-निवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र होने के कारण, स्वयं प्रस्तुत होंगे । इन निदेशकों से संबंधित जानकारी के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं, जिनको शेयर बाज़ार के साथ सूचीकरण समझौते के खण्ड वाक्य 49 की शर्तों के अधीन दिया जाना है ।

31 वीं वार्षिक साधारण बैठक में पुनर्नियुक्ति / नियुक्ति अपेक्षित निदेशकों के विवरण

निदेशक का नाम	श्री राकेश श्रीवास्तव	डॉ एस.नरसिंहाराव	श्री ए.के.धर
जन्म की तारीख	23.03.1959	29.09.1941	15.11.1947
नियुक्ति की तिथि	13.06.2007	दि.05.03.2004 से 04.06.2007 तक और दि:26.06.2007 से पुनर्नियुक्त	दिनांक 09.08.1994 से निदेशक (वित्त) और दि.25.06.2007 से अ.प्र.नि. का अतिरिक्त पदभार
योग्यताएँ	एम.एस्सी(भौतिक शास्त्र)	एम.ई., रीजनल इंजिनीरिंग कालेज, वरंगल, पीएच.डी. आई.आई.एस., बैंगलूर	बी.टेक.(ऑनर्स) आई.आई.टी., खड़गपुर एफ़.आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई.
विशिष्ट कार्यक्षेत्रों में विशेषज्ञता	ये पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं ।	निकर्षण, शिला, लक्षण, मृदान्वेषण आधारभूत अभिकल्पना, पत्तनों और जेट्टियों इत्यादि के लिए संरचनागत प्रणालियाँ ।	वित्त, अभियंत्रण, कार्मिक एवं प्रशासन ।
जिन सार्वजनिक क्षेत्रों में निदेशकत्व है उनकी सूची	निदेशक, सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य	शून्य

2006-2007 वर्ष का निदेशकों का प्रतिवेदन

आपके निदेशक दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के इस समवाय के 31वें वार्षिक प्रतिवेदन को परीक्षित लेखों सहित, सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ।

वित्तीय परिणाम :

इस समवाय ने पिछले वर्ष के रु.50,689.89 लाख की तुलना में, विचाराधीन वर्ष के लिए रु.57,289.09 लाख की अब तक की अत्यधिक प्रचालनिक आय अर्जित की है । अन्य आय भी पिछले वर्ष के रु. 3,598.73 लाख की तुलना में, अत्यधिक रु.4,919.86 लाख की रही । पिछले वर्ष के रु. 54,288.62 लाख की तुलना में, इस वर्ष की कुल आय रु.62,208.95 लाख की रही जो एक कीर्तिमान रही है ।

कर के बाद का लाभ पिछले वर्ष के रु.17,646.16 लाख की तुलना में, विचाराधीन वर्ष में रु.18,872.95 लाख का रहा । यह इस समवाय के कर पश्चात लाभ की कीर्तिमान उपलब्धि है ।

इस समवाय की प्रति शेयर आमदनी पिछले वर्ष की रु.63.02 की तुलना में वर्ष 2006-2007 में रु.67.40 की रही ।

लाभांश :

आपके समवाय के वित्तीय निष्पादन और अन्य संगत परिगणनीय अंशों को दृष्टि में रखते हुए, आपके निदेशक वर्ष 2006-2007 के लिए रु.663.89 लाख के लाभांश कर सहित, रु.4,863.89 लाख की राशि को आमेलित करते हुए इस समवाय की प्रदत्त पूँजी पर 150% की दर पर लाभांश (मार्च 2007 में अदा किए गए 60% अंतरिम लाभांश सहित) अदा करने की सिफारिश कर रहे हैं । पिछले वर्ष 2005-2006 के लिए, रु.589.05 लाख के लाभांश कर सहित, 150% की दर पर लाभांश के रूप में, रु.4,789.05 लाख का भुगतान किया गया । रु.1,890.00 लाख राशि को साधारण आरक्षितियों में अंतरित किया गया है ।

उधार :

दिनांक 31 मार्च, 2007 तक, संगत उधार संबंधी समझौतों की शर्तों और निबंधनों के अनुसार नियमित रूप से ब्याज और मूल राशि की किस्त अदा करने के बाद निम्नोक्त उधार बकाये पड़े हैं : (रुपये लाखों में)

बैंकों से विदेशी मुद्रागत उधार :	
क) ए बी एन ऑम्रो बैंक ड्रेज-15	260.42
ख) ए बी एन ऑम्रो बैंक ड्रेज-16	2,755.18
योग	3,015.60

डी.सी.आई. नौबेड़ा :

दिनांक 31 मार्च, 2007 तक आपके समवाय के लिए अन्य अंशों के साथ-साथ 10 अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक (अ.चू.हा.नि.) और 2 कर्तक चूषक निकर्षक (क.चू.नि.) प्रचालन में हैं । अनुषंगी नौयान डी.सी.आई. टग-6 दिनांक 06.05.2006 को नागपट्नम में पलट गया था । नौयानवारी विशिष्टियाँ अनुलग्नक-1 में दी गई हैं ।

निकर्षणगत प्रचालन :

दिनांक 31 मार्च, 2007 तक डी. सी. आई. के यहाँ उपलब्ध निकर्षण क्षमता 798.50 लाख घ.मी. की रही थी, जो पिछले वर्ष जैसी ही रही । पिछले वर्ष की 727.49 लाख घ.मी. की तुलना में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विविध ठेकों के अंतर्गत निकर्षित मात्रा 763.80 लाख घ.मी. की रही । यह पिछले वर्ष के 91.10% की तुलना में डी.सी.आई. की क्षमता का 95.65% का प्रतिनिधित्व करती है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोलकाता / हाल्दिया, पारादीप, विशाखपट्नम, दक्षिणी नौसेना कमान (नौसेना), कोचि, कोचि पत्तन न्यास, नया मंगलूर, जवाहर लाल नेहरू पत्तन और सेतुसमुद्रम नौ-जलमार्ग परियोजना में निर्माणगत निकर्षण ठेके निष्पादित किए गए । ये कार्य या तो विद्यमान ठेकों के अंतर्गत निष्पादित किए गए या पिछले वर्षों के दौरान पत्तनों इत्यादि के साथ तय किए गए ठेकों के नवीकरण के अंतर्गत या इस वर्ष के दौरान तय हुए नये ठेकों के अंतर्गत ।

सर्वश्री ड्रेजिंग इंटरनेशनल के साथ हुए कर्तक चूषण निकर्षक डी.सी.आई. ड्रेज-ऐक्वारिअस संबंधी चार्टर भाड़ा समझौते कों सेतुसमुद्रम नौ-जलमार्ग परियोजना की निकर्षण अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु अक्तूबर 2006 में समय से पहले ही परिसमाप्त किया गया।

सेतुसमुद्रम नौ-जलमार्ग परियोजना :

दिनांक 31 मार्च, 2007 तक, इस समवाय ने विशेष प्रयोजनकारी अभियान, सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए ईक्विटी के प्रति रु.14.50 करोड़ का अंशदान दिया है ।

योजनागत प्रस्ताव :

मुम्बई के माझगाँव डॉक लिमिटेड को 2000 घ.मी. घनपदार्थ प्रति घंटे की क्षमता एक कर्तक चूषण निकर्षक की खरीद के लिए अक्तूबर, 2005 में क्रय आदेश रखा है और दिसम्बर, 2007 में इसका वितरण प्रत्याशित है । 5000 घ.मी. हॉपर क्षमता के तीन अनुगामी चूषण निकर्षकों की खरीद की कार्रवाई हो रही है । सर्वेक्षण लांचों, बैकहो निकर्षक और स्वचालित हॉपर बार्जों की खरीद की कार्रवाई भी हो रही है ।

भाड़े पर लिए गए निकर्षक :

डी.सी.आई. की क्षमता को बढाने के लिए और निकर्षण बाज़ार की संभाव्य वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए, डी.सी.आई. निकर्षकों को भाड़े पर लेता रहा है जो फिलहाल सेतुसमुद्रम नौ-जलमार्ग परियोजना में परिनियोजित किए जा रहे हैं । इस प्रतिवेदन की तिथि तक भिन्न भिन्न क्षमताओं के दो ऐसे ही निकर्षक प्रचालन में हैं ।

समझौता ज्ञापन :
आपके समवाय ने लगातार 16वें वर्ष के लिए भारत सरकार के साथ वर्ष 2007-2008 के लिए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं । यह समवाय वर्ष 2006-07 के लिए भी 'बहुत अच्छा' मूल्यांकन की प्रत्याशा कर रहा है ।

अंतर्राष्ट्रीय संरक्षा प्रबंधन (अं.सं.प्र.) संहिता :
दिनांक 31 मार्च, 2007 तक अं.सं.प्र., अं.पो.प.सु.सु. और अं.मा.सं. को अमल करने संबंधी प्रगति निम्नोक्तानुसार है :

अंतर्राष्ट्रीय संरक्षा प्रबंधन (अं.सं.प्र.):

क) सभी निकर्षकों और अनुकर्षक के लिऐ संरक्षा प्रबंधन प्रमाण-पत्र(सं.प्र.प्र.) जारी किए गए ।

ख) वर्ष 2002 में अनुपालन प्रलेख (अनु.प्रले.) जारी किए गए और हर वर्ष उसको पृष्ठांकित किया जा रहा है ।

अंतर्राष्ट्रीय पोत एवं पत्तन सुविधा सुरक्षा (अं.पो.प.सु.सु.) :
वर्ष 2009 तक वैध अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र (अं.पो.सु.प्र.) सभी निकर्षकों के लिए प्राप्त किए गए । ड्रेज-6, 11, 14, 15, 16 और 17 के जहाज़ी पटलों पर अंतरिम अं.पो.प.सु.सु. जाँचें सफलतापूर्वक पूरी की गईं ।

अं.मा.सं. (आई.एस.ओ.) 9001:2000:-

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (गु.प्र.प्र.) को पूरे डी.सी.आई. में अमल किया गया और उसकी जाँच आतरिक जाँचों द्वारा कराई गई । नियम-पुस्तकों में पुनर्विलोकनों तथा पुनरीक्षणों द्वारा समय-समय पर यथापेक्षित सुधार किए गए । बाहरी जाँचें आई.आर.एस. द्वारा पूर्व निर्धारणार्थ तथा प्रमाणनार्थ की गईं और डी.सी.आई. को आई%एस.ओ.9001:2000 संस्था के रूप में प्रमाणित किया गया । यह प्रमाणन 2006-2007 वर्ष का समझौता-ज्ञापनगत लक्ष्य था और उसको समय के अंदर ही साध्य किया गया ।

सदस्य / निवेशक संस्थाएँ :
इस समवाय के शेयर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और राष्ट्रीय शेयर बाज़ारों में सूचीकृत हैं । इस समवाय के शयरों को एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. दोनों जमा स्थानों में विभौतिकीकृत किया गया है । सर्वश्री कॉर्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, इस समवाय के आर एण्ड टी अभिकर्ता हैं ।

समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अंतर्गत कर्मचारियों की विशिष्टियाँ :
समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथापेक्षित वर्ष 2006-07 के कर्मचारियों की विशिष्टियों को 'शून्य' समझा जाए, क्योंकि वर्ष 2006-07 के दौरान रु.24.00 लाख प्रतिवर्ष या रु.2.00 लाख प्रति मास का वेतन कोई भी कर्मचारी अर्जित नहीं कर रहा है ।

निदेशकों का ज़िम्मेदारीयुत कथन :
समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 217 की उपधारा (2कक) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशक इसकी पुष्टि करते हैं कि -

1) वार्षिक लेखों की तैयारी में सामग्री निर्गमन के संबंध में लागू होनेवाले लेखाकरणगत मानकों का समुचित स्पष्टीकरण सहित अनुपालन किया गया था ।
2) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरणगत नीतियों को चुना और उनका सदा अनुप्रयोग किया था और ऐसे अधिनिर्णय और प्राक्कलन किए हैं जो समुचित और प्राज्ञतायुत हैं ताकि उनके सहारे वित्तीय वर्ष के अंत में इस समवाय के व्यवहारों की उस अवधि के लिए इस समवाय की लाभ-हानि स्थिति के सही और ऋजु स्वरूप को दर्शाया जा सके ।
3) इस समवाय की परिसंपत्तियों की संरक्षा के लिए तथा प्रवंचन एवं अनियमितताओं को रोकने और अन्वेषित करने के लिए, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरणगत अभिलेखों के निर्वाह के लिए आपके निदेशकों ने समुचित और पर्याप्त सावधानी रखी थी ।
4) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को प्रचलित व्यवहार्यता के आधार पर तैयार किया था ।

समवाय (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में विशिष्टियों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अंतर्गत दी जानेवाली सूचना :

क) धारा 217 (1ङ) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण :

आपका समवाय उन समवायों के अंतर्गत नहीं आता, जिनको यह सूचना देनी अपेक्षित है । फिर भी, निम्नोक्त उपाय किए गए हैं :

1) डी.सी.आई. नौबेड़े के सभी निकर्षकों पर, विशिष्ट डी.जी.पी.एस. और डी.वी.एल.एम. प्रणालियों जैसी और स्टेट-ऑफ़-दि-आर्ट यंत्रीकरण की स्थापना की गई है जिसकी वज़ह से स्थितिज ऊर्जा के बचाव के साथ दक्षतापूर्ण निकर्षण के लिए सुविधा होगी ।
2) नये निकर्षक खरीदते समय, अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ बने ईंधन दक्षता डिजाइनवाले निकर्षकों को चुना जाएगा ।
3) कई निकर्षकों के लिए एच.एफ़.एच.एस.डी. / एल.एफ़.एच.एस.डी. के बदले एल.डी.ओ. का उपयोग करने के परिणामस्वरूप लागत में बचत हुई ।
4) चूंकि ईंधन की लागत प्रचालनिक लागत के लगभग 49% तक पड़ती है, निकर्षकों पर ईंधन की खपत को कम करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ।

ख) धारा 217(1) (ङ) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का आमेलन :

विचाराधीन वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी का कोई अंतरण नहीं हुआ था और इसके फलस्वरूप प्रौद्योगिकी का कोई आमेलन भी नहीं हुआ था ।

ग) धारा 217(1)(ङ) के अंतर्गत विदेशी मुद्रागत आय और व्यय :

	(रुपये लाखों में)
1) विदेशी मुद्रागत आय :	
विदेशी सुपुर्द कार्य (विदेशों को निकर्षकों को भाड़े पर देना)	726.97
योग	726.97
2) विदेशी मुद्रागत व्यय :	
क) घटकों और अतिरिक्त पुर्जों का आयात (लागत बीमा व भाड़ा मूल्य)	2,944.18
ख) विदेशी मुद्रागत उधार का प्रतिभुगतान	1,622.93

ग)	विदेशी बैंकों से लिए गए उधारों पर अदा किया गया ब्याज	212.26
घ)	यात्रा	20.41
ङ)	कमीशन और दलाली	0.77
	योग	4800.55

निगमित अभिशासन :

शेयर बाज़ारों के साथ किए गए सूचीकरण समझौतों के खण्ड वाक्य 49 के अनुसरण में, प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण, निगमित अभिशासन प्रतिवेदन और इस समवाय के लेखा परीक्षकों से निगमित अभिशासन के निबंधनों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र इससे अनुलग्न हैं, जो इस प्रतिवेदन के अभिन्न भाग हैं ।

कर्मचारी-बल :

पिछले वर्ष के 849 की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2007 तक के इस निगम के (तटीय और जहाज़ी दोनों स्थापनाओं के) कर्मचारियों की कुल संख्या 815 की रही । इसके आगे, जहाज़ी स्थापना में 3 मासिक वेतन कर्मकारों (मा.वे.क.)(पिछले वर्ष के लिए 20) को नियोजित किया गया । दिनांक 31.03.2007 तक के कुल 815 कर्मचारी बल में से तटीय स्थापना और जहाज़ी स्थापना का कर्मचारी बल क्रमश: 384 और 431 का रहा ।

विविध आरक्षित वर्गों के लिए रोज़गार :

विविध आरक्षित वर्गो संबंधी कर्मचारी बल की स्थिति नीचे संकेत किए गए अनुसार है :

क. अ.जा./अ.ज.जा. के लिए रोज़गार :

इस निगम ने सरकारी मार्गदर्शन सूत्रो के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए रोज़गार अवसरों की व्यवस्था करने की अपनी अनिवार्यताओं को पूरा करने के अपने प्रयास जारी रखे है । इस समवाय के रोज़गार में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारो का प्रतिनिधित्व, मा.वे.क. को छोड़कर दिनांक 31 मार्च, 2007 तक 159 रही, जो राष्ट्रपति के निदेशानुसार निर्धारित 24.16% और पिछले वर्ष के 19.90% के विरुद्ध, 19.51% का रहा है ।

ख. भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन :

इस निगम में भूतपूर्व सैनिको का प्रतिनिधित्व (तटीय और जहाज़ी दोनों) समूह 'ग' और 'घ' वर्गों में सरकार द्वारा क्रमश: 14.50% और 24.50% की तुलना में 10.53% और 7.69% का रहा है ।

ग. विकलांगों का नियोजन :

इस निगम में दिनांक 31 मार्च, 2007 तक के विकलांग कर्मचारियों की संख्या 8 है । क, ख, ग और घ समूहों के ब्यौरे निम्नोक्तानुसार है :

समूह	मंजूर कर्मचारी-बल	पहचाने गए पदों में कुल कर्मचारी-बल	वास्तव में नियोजित अपंगु व्यक्तियों की संख्या	पहचाने गए पदों के संदर्भ में उनकी प्रतिशतता
क	157	12	01	8.33
ख	129	87	04	4.59
ग	88	84	03	3.57
घ	10	10	शून्य	शून्य
योग	384	193	08	4.14

समूह 'ग' और 'घ' के पदों में समग्र प्रतिशतता, इन समूहों में मंजूर कर्मचारी-बल के 3.06% तक की है जो निर्धारित प्रतिशतता से 3% से अधिक है ।

घ. महिला कर्मचारियों का नियोजन :

दिनांक 31.03.2007 तक कर्मचारी नामिका में महिला कर्मचारियों की संख्या 41 तक रही । इनमें से 3 कार्यपालक और 38 कार्यपालकेतर हैं ।

मज़दूरी समझौते :

क. जहाज़ी स्थापना :

1) जहाज़ी अधिकारियों (विदेशगामी / देशी व्यापार) के विषय में आई.एन.एस.ए.-एम.यू.आई. मज़दूरी समझौता, दिनांक 31.03.2008 तक वैध है ।

2) पैटी अफ़सरों (देशी व्यापार) के विषय में, आई.एन.एस.ए.-एन.यू.एस.आई. मज़दूरी समझौता दिनांक 01.04.2006 से प्रभावी होने को है ।

3) कर्मीदल और मासिक वेतन कर्मकारों के विषय में मज़दूरी समझौते दिनांक 01.04.2006 से प्रभावी होने को हैं ।

ख. तटीय स्थापना :

कार्यपालकों और कार्यपालकेतर कर्मचारियों (संघीकृत कर्मचारी वर्ग) का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2007 से प्रभावी होने को है ।

औद्योगिक संबंध :

प्रतिवेदनाधीन अवधि-भर इस निगम में मालिक-मज़दूर संबंध सौहार्दपूर्ण जारी रहे ।

कल्याणकारी उपाय :

इस निगम ने, विविध कल्याणकारी योजनाएँ जैसे कि - परिवार पेन्शन योजना, सामुदायिक उपदान बीमा योजना, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना, सामुदायिक बचतबद्ध बीमा योजना, अंशदायी भविष्य निधि, प्रसूति प्रसुविधा योजना, सहायता प्राप्त जलपान सुविधा, परिवहन सहायता, चिकित्सीय परिचर्या, छुट्टी यात्रा रियायत, उच्चतर शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन योजना, अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की संतान के लिए योग्यता, छात्रवृत्ति इत्यादि योजनाओं को जारी रखा ।

अन्य कल्याणकारी उपाय, जैसे कि गृह निर्माण अग्रिम, गृ.नि.अ. ब्याज सहायता, गृ.नि.अ. परिवार सुरक्षा पारस्परिक निधि, महिला कर्मचारियों को अपनी प्रसूति के समय / अपनी पत्नी की प्रसूति के समय पुरुष कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी, लघु परिवार उपाय अमल करने के लिए प्रोत्साहन और संतान की उच्च शिक्षा, उनके विवाह और कम्प्यूटर की खरीद इत्यादि के लिए अग्रिम दिए जाते हैं ।

उपर्युक्त के अलावा, काम करने की जग़ह, महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर और सरकारी अनुदेशों को दृष्टि में रखते हुए, इस निगम के प्रधान कार्यालय और परियोजनाओं तथा अन्य कार्यालयों में काम करने की जग़ह महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी एक परिपत्र जारी किया गया । उसी प्रकार कार्यपालकों के लिए लागू होनेवाली आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली और कार्यपालकेतरों के लिए लागू होनेवाले प्रमाणित स्थायी आदेशों में काम करने की जग़ह महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी नया प्रावधान भी समाविष्ट किया गया । काम की ज़गह पर लैंगिक रूप से महिलाओं को व्यथा पहुँचाने संबंधी शिकायतों को देखने का काम एक विशेष समिति करती है और एक शिकायत पंजी का निर्वाह भी किया जा रहा है । डी.सी.आई. सार्वजनिक क्षेत्रीय महिला मंच (सा.क्षे.म.मं.) का सदस्य है जिसमें इस निगम के एक महिला कर्मचारी प्रतिनिधि है । कल्याणकारी उपाय के रूप में प्रत्येकतया महिला कर्मचारियों के लिए ही एक विश्राम कक्ष की व्यवस्था की गई । समूह 'घ' की महिला कर्मचारियों के लिए भी काम पर पहनने की वर्दी की व्यवस्था की गई है । 25 महिला कर्मचारियों को विविध समवायस्थ और समवाय के बाहर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया । डी.सी.आई. में सा.क्षे.म.मं. की समन्वयिका को 5 महिला कर्मचारियों के साथ फरवरी 2007 में कोचि में आयोजित सा.क्षे.म.मं. की 17वीं राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए भी नामित किया गया ।

विकलांग कर्मचारियों को, इस निगम के विद्यमान नियमों के अनुसार, परिवहन सहायता / वाहन व्यय प्रतिपूर्ति की उनकी साधारण हकदारी के अतिरिक्त, रु.75/- प्रतिमास का अतिरिक्त वाहन भत्ता अदा किया जा रहा है ।

मानव संसाधन विकास :

यह समवाय तटीय और जहाज़ी - दोनों स्थापनाओं के मानव संसाधनों के समग्र विकास के लिए निष्ठा से प्रयास कर रहा है । वर्ष 2006-07 के दौरान प्रबंध विकास और प्रशिक्षण कार्यकलापों पर रु.85 लाख (लगभग) का व्यय हुआ, जिसके अंतर्गत दोनों स्थापनाओं के कई कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया । इस वर्ष के दौरान परियोजना प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त एवं लेखा संबंधी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों / सम्मेलनों, आंतरिक लेखा परीक्षण संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन, मेन बी.डब्ल्यू. डीजल, कोपेन हेज़ेन, के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अ.जा. अ.ज.जा. और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मुख्य संपर्क अधिकारियों के लिए आरक्षण नीति पर आयोजित चौथे राष्ट्रीय संयोजन में सार्वजनिक क्षेत्रीय महिला मंच संबंधी 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन, निगमित संचार पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी, आवासीय सतर्कता कार्यक्रम, सूचना अधिकार अधिनियम पर आयोजित भाषण बैठक व कार्यशाला इत्यादि में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को नामित किया गया । कर्मचारियों को कम्प्यूटर हार्डवेयर / एम:एस:आफ़ीस, एम.एस.विशिष्ट आंकड़े, वेब अभिकल्पना, ई-फ़ाइलिंग और कम्पनी व्यवहार मंत्रालय के डिजिटल सिग्नेचर कार्यालयस्थ गहन प्रशिक्षण दिलाया गया ।

अं.मा.सं./अं.सं.प्र. जागरूकता और गुणवत्ता जाँचकर्ताओं के कार्यक्रम भी तटीय और जहाज़ी दोनों स्थापनाओं के कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए । अं.पो.प.सु.सु. संहिता के अंतर्गत प्रमाणित जहाज़ी अधिकारियों को जहाज़ सुरक्षा अधिकारी (ज.सु.अ.) पाठ्यक्रम और समवाय सुरक्षा अधिकारी (स.सु.अ.) पाठ्यक्रम में भेजा गया ।

डी.सी.आई. द्वारा बेल्जियम के फ़्लाँडर्स कम्यूनिटी मंत्रालय के सहयोग से ऍपेक, ऐन्टॉप में अक्तूबर 2006 के दौरान निकर्षण प्रविधियों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इस निगम के 10 अधिकारी और सभी भारतीय पत्तनों और अन्य संगठनों से सहभागी उपस्थित हुए ।

समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के अंतर्गत प्रशिक्षित होने के लिए लक्षित 125 कर्मचारियों की तुलना में विनिर्धारित कार्यक्रमों में कुल 190 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 को दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी अमल किया गया और इस अधिनियम के कार्यान्वयनार्थ अपेक्षित सभी आधारभूत व्यवस्थाएँ - जैसे कि लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों और अपील प्राधिकारी की नियुक्ति, सार्वजनिक सूचनार्थ इस समवाय के बारे में अपेक्षित जानकारी देते हुए 17 निर्धारित नियम पुस्तकों का प्रकाशन, पद्धति का गठन, अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति संबंधी आवधिक प्रतिवेदनों की प्रस्तुति, इत्यादि की गईं । सूचना माँगते हुए जनता से प्राप्त अनुरोधों के अनुवीक्षणार्थ एक पंजी का निर्वाह किया जा रहा है और संबंधितों से उत्तरों का समन्वय किया जा रहा है ।

अखिल भारतीय निकर्षण संवर्ग :

अखिल भारतीय निकर्षण संवर्ग योजना के 10वें बैच के अंतर्गत 7 डेक कैडेट, मुम्बई के एल.बी.एस. कालेज में प्रशिक्षण पा रहे हैं और 6 इंजन कैडेट निकर्षकों पर 12 महीनों के लिए प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

अखिल भारतीय निकर्षण संवर्ग योजना के अंतर्गत डेक कैडेटों के 11वें बैच और इंजन कैडेटों के छठे बैच के संबंध में सितम्बर 2006 में अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई और नियुक्ति की प्रक्रिया विविध दशाओं में पहुँच गई है ।

लोक व्यथावेदन और शिकायत एकक के कार्यकलाप :

इस निगम में 1988 वर्ष से एक लोक शिकायत एकक काम कर रहा है । महा प्रबंधक (वित्त) नामित लोक शिकायत निदेशक है और एक उप प्रबंधक (मा.सं.वि.)लोगों से प्राप्त व्यथावेदनों / शिकायतों को संभालने में उनकी सहायता करता है । मंत्रालय के मार्गदर्शन सूत्रों के अनुसार, नियमित रूप से निदेशक मण्डल के सूचनार्थ उनकी बैठकों में एक स्थितिगत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है और एक तिमाही स्थितिगत रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाती है । मंत्रालय के निर्देशों के अनुसरण में, एक लोक शिकायत निवारण और अनुश्रवणन प्रणाली (पी.जी.आर.ए.एम.एस.) साफ़्टवेअर की स्थापना विचाराधीन वर्ष के दौरान इस कम्पनी के कम्प्यूटर नेटवर्क पर की गई, जो मंत्रालय तथा इस समवाय के बीच संधान रीति से काम करता है । इस वर्ष के दौरान केवल एक ही शिकायत प्राप्त हुई जिसका समुचित रूप से उत्तर दिया गया ।

सूचना और सौकर्य काउण्टर :

इस निगम की कार्यकारिता में पारदर्शिकता लाने के लिए और जनता के लिए किसी भी जानकारी के लिए मार्ग को सरल और त्वरित बनाने के उद्देश्य से डी.सी.आई. के विशाखपट्नम स्थित प्रधान कार्यालय में सूचना और सौकर्य काउण्टर (सू.सौ.का.) का गठन किया गया है ।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग :

इस निगम ने सरकार की राजभाषा नीति को अमल करने में अपने प्रयास जारी रखे । नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन इत्यादि देने की प्रोत्साहन योजना इस निगम में अमल में है ।

हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया और हिन्दी प्रदर्शनी लगाई गई । कर्मचारियों ने विशाखपट्नम में आयोजित अखिल भारतीय संगोष्ठियों और कवि-सम्मेलनों में भाग लिया और हिन्दी संगोष्ठियों में लेख / कविताएं भी प्रस्तुत किए। कविताएं और रेडियो-व्याख्यान भी आकाशवाणी द्वारा हिन्दी में प्रसारित किए गए । भारतीय राजभाषा विकास संस्थान ने विशाखपट्नम में आयोजित एक क्षेत्रीय संगोष्ठी में प्रबंधक (राजभाषा) को राजभाषा शिल्पी सम्मान प्रदान किया ।

विविध विभागों के फ़ार्मों / पत्राचार तथा रिपोर्टों को हिन्दी में भी कम्प्यूटरीकृत किया गया । कई फ़ार्मों, वेतन पर्ची, पत्र शीर्षों, संदर्शन कार्डों और अन्य लेखन-सामग्री की मदों को द्विभाषी रूप में बनाया गया । वेबसाइट की जानकारी हिन्दी में भी लगाई गई । उपयोगी द्विभाषी / बहुभाषी साफ़्टवेअरों को खरीदकर कम्प्यूटरों में लगाया गया और ऐसे साफ़्टवेअर के हिन्दी में भी चलाने तथा द्विभाषी फ़ार्मों और जानकारी को नेटवर्क पर शेरिंग करने का प्रशिक्षण दिलाया गया । हिन्दी में मुद्रण करने के अनुकूल लिपि लाइन प्रिंटर, को प्रबंध सूचना प्रणाली विभाग में लगाकर सभी विभागों के लिए उपलब्ध कराया गया ।

कार्यालय आदेश / परिपत्र, सरकार और संसदीय समितियों के सम्मुख प्रस्तुत प्रतिवेदन द्विभाषी रूप में तैयार किए गए । अं.सं.प्र. कार्यनीति, अं.सं.प्र. संहिता, सभी अं.सं.प्र. नियम-पुस्तकें, संरक्षा अनुदेश इत्यादि का हिन्दी में अनुवाद किया गया । कुछ और कार्यक्षेत्रों - जैसे कि सूचना अधिकार अधिनियम, सूचना सौकर्य काउंटर और अभिलेख प्रबंधन में भी हिन्दी में पत्राचार का विस्तार किया गया 1

इस समवाय के अधिकारियों ने विचाराधीन वर्ष के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति, विशाखपट्नम की बैठकों और कार्यकलापों में भाग लिया ।

2006-2007 वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग के कार्यकलाप :

अधिकारियों के विरुद्ध चलाई जा रही विभागीय जाँचें और लघु शास्ति कार्यवाहियाँ जारी हैं । इस वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग ने 22 निरीक्षणों और 2आकस्मिक जाँचों का आयोजन किया । निरीक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर, प्रणाली सुधार के सुझाव संबंधित विभागों को दिए गए और एक अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गई । इस निगम में दिनांक 06.11.2006 से 10.11.2006 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । इस वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों को निपटाया गया ।

लेखा-परीक्षक :

2006-07 वित्त वर्ष के लिए इस समवाय के लेखों की परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षकों के रूप में विशाखपट्नम के सनदी लेखापाल सर्वश्री श्रीराममूर्ति एण्ड कम्पनी को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया । समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 224(8) (कक) के अनुसरण में, लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक वार्षिक साधारण बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना है । इस वार्षिक साधारण बैठक में सदस्यों के अनुमोदनार्थ यह मण्डल रु.2.50 लाख (रुपये दो लाख पचास हज़ार मात्र) के पारिश्रमिक की सिफ़ारिश कर रहा ह।

निदेशक :

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कमडोर जी.वी.रत्नम को निदेशक (प्रचालन एवं प्राविधिक) के पद पर नियुक्त किया और कमडोर जी.वी.रत्नम ने दिनांक 07.06.2006 को कार्यभार ग्रहण किया । डॉ: एस:कथिरोली दिनांक 16.08.2006 को तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर इस समवाय के आंशकालिक अधिकारेतर निदेशक के पद से निवृत्त हुए । मंत्रालय ने दिनांक 13.04.2007 से श्री टी:श्रीनिधि के स्थान पर आंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में श्री पी.सी.धीमान को नियुक्त किया । आगे मंत्रालय ने दिनांक 13.06.2007 से श्री ए.के.भल्ला और श्री पी.सी.धीमान के स्थान पर श्री राकेश श्रीवास्तव और श्री प्रभाकर को नियुक्त किया । इस समवाय के निदेशकों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉ.एस.कथिरोली, श्री टी.श्रीनिधि, श्री पी.सी.धीमान और श्री ए.के.भल्ला ने जो मूल्यवान मार्गदर्शन किया उसकी प्रशंसा यह मण्डल अभिलेखांकित कर रहा है ।

धारा 256 के अनुसरण में, श्री राकेश श्रीवास्तव, डॉ एस.नरसिंहाराव और श्री ए.के.धर इस बैठक में सेवा-निवृत्त होंगे और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं । मण्डल इस बैठक में उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफ़ारिश कर रहा है ।

धन्यवाद ज्ञापन :

निदेशक, पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और उसके अधिकारियों के प्रति समय-समय पर उनकी अमूल्य सहायता, मदद और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं । निदेशक अन्य सभी मंत्रालयों के प्रति भी, उनकी सहायता और सहयोग के लिए आभारी हैं । यह मण्डल भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक , सदस्य लेखा-परीक्षण मण्डल तथा सांविधिक लेखा-परीक्षकों के प्रति भी, उनके सहयोग के लिए कृतज्ञ है । यह मण्डल इस निगम के बैंकरों के प्रति भी, उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए आभारी हैं । यह मण्डल मूल्यवान ग्राहकों के प्रति उनकी चालू प्रतिश्रयता के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है ।

निदेशक इस निगम के सभी स्तरों के कर्मचारियों की सेवाओं के प्रति भी अपनी प्रशंसा अभिलेखांकित करना चाहते हैं ।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : विशाखपट्नम **(ए.के.धर)**
दिनांक : 20.08.2007 **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

अनुलग्नक - 1

डी.सी.आई. के निकर्षकों एवं नौयानों संबंधी सूचना

नौयान	निर्माण वर्ष	जलयान की किस्म	अधिकतम निकर्षण की गहराई	समग्र लम्बाई (मी)	ड्राफ़्ट (मी)	स्थापित हॉपर आयतन (घ.मी.)	स्थापित अश्व शक्ति
डी.सी.आई. ड्रेज-5	1974	स्वचालित अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक	22.00	100.00	6.52	3450	-
डी.सी.आई. ड्रेज-6	1975	स्वचालित अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक	22.00	104.00	6.30	3770	-
डी.सी.आई. ड्रेज-7	1976	अचालित कर्तक चूषण हॉपर निकर्षक	22.00	86.00	2.50	-	8500
डी.सी.आई. ड्रेज-8	1977	स्वचालित अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक	25.00	124.30	8.50	6500	-
डी.सी.आई. ड्रेज-9	1984	स्वचालित अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक	25.00	102.60	7.50	4500	-
डी.सी.आई. ड्रेज-11	1986	स्वचालित अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक	25.00	102.60	7.50	4500	-
डी.सी.आई. ड्रेज-12	1990	स्वचालित अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक	20.00	115.00	6.50	4500	-
डी.सी.आई. ड्रेज-14	1991	स्वचालित अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक	20.00	115.00	6.50	4500	-
डी.सी.आई. ड्रेज-15	1999	स्वचालित अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक	25.00	122.00	8.50	7400	-
डी.सी.आई. ड्रेज-16	2000	स्वचालित अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक	25.00	122.00	8.50	7400	-
डी.सी.आई. ड्रेज-17	2001	स्वचालित अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक	25.00	122.00	8.50	7400	-
डी.सी.आई. ड्रेज-'ऐक्वारिअस'	1977	स्वचालित कर्तक चूषण हॉपर निकर्षक	25.00	107.00	4.85	-	17300
डी.सी.आई.टग-7	2005	स्वचालित (यमल पेंच) -	-	42.30	4.50	-	22.00टन (बोलार्ड पुल)
'ए' फ्रेम पंटून-2	1982	अचालित	-	16.50	0.50	-	-
विगादीकरण संयंत्र	1982	अचालित	3.80	6.00	0.60	-	-
सर्वेक्षण लांच	1999	स्वचालित	-	12.50	1.85	-	-

निगमित अभिशासन प्रतिवेदन

1. समवाय के निगमित अभिशासन का तत्त्व :

इस समवाय का पूर्ण विश्वास है कि आजकल के स्पर्धात्मक व्यापारिक परिदृश्यों में शेयरधारियों के दीर्घावधिक मूल्य और अपनी प्रतिष्ठात्मकता को बढाने के लिए, पहले-पहल एक अच्छा निगमित अभिशासन का होना बहुत ही अपेक्षित है । इस समवाय की नीति और आचरण का लक्ष्य है - दक्षता से व्यापार का संचालन और बड़े पैमाने पर शेयरधारियों, ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के प्रति जो अनिवार्यताएँ हैं, उनको पूरा करना । इस समवाय ने अपने सभी पणधारियों के प्रति पारदर्शिकता और उत्तरदायित्व बढाने के द्वारा अपने लक्ष्य में लगातार सुधार लाने का प्रयास किया है ।

2. निदेशक मण्डल :

2.1 निदेशक मण्डल का गठन :

दिनांक 31.03.2007 तक निदेशक मण्डल का समावेश

	निदेशक	कार्यपालक/ कार्यपालकेतर	आधिकारिक/ अधिकारेतर	उम्र	योग्यताएँ
1)	श्री के.आर.किशोर, भा.प्र.से. अ.प्र.नि.	कार्यपालक	अतिरिक्त प्रभार	54	एम.बी.ए. (यू.के.)
2)	श्री ए.के.धर, निदेशक (वित्त)	कार्यपालक	पूर्णकालिक आधिकारिक	60	बी.टेक.(ऑनर्स), एफ़.आई.सी.डब्ल्यू.ए.
3)	कमडोर जी.वी.रत्नम, नि.प्र.प्रा.	कार्यपालक	पूर्णकालिक आधिकारिक	58	बी.टेक., डी.आई.आई.टी.(एन.ए.)
4)	श्री ए.के.भल्ला, भा.प्र.से.	कार्यपालकेतर	आंशकालिक आधिकारिक	47	एम.एस्सी., एम.बी.ए.
5)	श्री टी.श्रीनिधि	कार्यपालकेतर	आंशकालिक आधिकारिक	52	एम.ए.(अर्थशास्त्र), एम.बी.ए.
6)	डॉ एस.नरसिंहाराव	कार्यपालकेतर	आंशकालिक अधिकारेतर	66	बी.ई., एम.ई., पीएच.डी.(इण्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ साइन्स, बैंगलूर)

इस समवाय की संगम नियमावली के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति से की जाती है । स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के विषय में सूचीकरण समझौते के खण्ड वाक्य 49 के संशोधित प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु, सरकारेतर आंशकालिक निदेशकों की संख्या को बढाने संबंधी मामले को सरकार के सम्मुख इस समवाय ने रखा है ।

2006-07 के दौरान परिवर्तन :

	निदेशक		दिनांक	परिवर्तन का स्वरूप
1)	कमडोर जी.वी.रत्नम	निदेशक (प्रचालन व प्राविधिक)	07.06.2006	नियुक्ति
2)	डॉ एस.कथिरोली	आंशकालिक सरकारेतर निदेशक	16.08.2006	कार्यकाल की समाप्ति पर निवृत्ति
3)	श्री एन.के.गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.11.2006	कार्यकाल की समाप्ति पर निवृत्ति
4)	श्री के.आर.किशोर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.12.2006	नियुक्ति - अध्यक्ष, विशाखपट्नम पत्तन न्यास के कार्यों के अतिरिक्त तीन महीनों के लिए अतिरिक्त पदभार
5)	-यथोपरि-	-यथोपरि-	01.03.2007	तीन और महीनों के लिए अ.प्र.नि. डी.सी.आई. के रूप में कार्यकाल का विस्तार
6)	डॉ एस.नरसिंहाराव	आंशकालिक सरकारेतर निदेशक	05.03.2007	दिनांक 04.03.2007 को कार्यकाल की समाप्ति पर तीन वर्षों के लिए विस्तार
7)	श्री टी.श्रीनिधि	आंशकालिक सरकारी निदेशक	13.04.2007	उनके स्थान में श्री पी.सी.धीमान की नियुक्ति पर निवृत्ति
8)	श्री पी.सी.धीमान	आंशकालिक सरकारी निदेशक	13.04.2007	श्री टी.श्रीनिधि के स्थान पर नियुक्ति

दिनांक 31.03.2007 के बाद परिवर्तन :

	निदेशक		दिनांक	परिवर्तन का स्वरूप
1)	श्री पी.सी.धीमान	आंशकालिक सरकारी निदेशक	13.06.2007	इनके स्थान पर श्री प्रभाकर की नियुक्ति पर निवृत्ति
2)	श्री ए.के.भल्ला	आंशकालिक सरकारी निदेशक	13.06.2007	इनके स्थान पर श्री राकेश श्रीवास्तव की नियुक्ति पर निवृत्ति
3)	श्री प्रभाकर	आंशकालिक सरकारी निदेशक	13.06.2007	श्री पी.सी.धीमान के स्थान पर नियुक्ति
4)	श्री राकेश श्रीवास्तव	आंशकालिक सरकारी निदेशक	13.06.2007	श्री ए.के.भल्ला के स्थान पर नियुक्ति
5)	श्री के.आर.किशोर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	25.06.2007	अ.प्र.नि. के रूप में श्री ए.के.धर की नियुक्ति पर निवृत्ति
6)	श्री ए.के.धर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	25.06.2007	नियुक्ति - निदेशक (वित्त) के कार्यों के अतिरिक्त अ.प्र.नि. का अतिरिक्त भार

कमडोर जी.वी.रत्नम को भारतीय नौसेना में प्रवर्तक अधिकारी(प्राविधिक) के रूप में कई वर्षों का अनुभव है । डी.सी.आई. में निदेशक (प्रचालन एवं प्राविधिक) के रूप में भर्ती होने से पहले, ये विशाखपट्नम के हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में महा प्रबंधक (पोत मरम्मतें) पद पर थे ।

श्री पी.सी.धीमान, भा.प्र.से. सरकारी सेवा में हैं । उन्होंने भारत सरकार में विविध वरिष्ठ स्तरों में काम किया ।

श्री के.आर.किशोर, भा.प्र.से., सरकारी सेवा में हैं । उन्होंने आन्ध्र प्रदेश सरकार में विविध वरिष्ठ स्तरों में काम किया । वे सितम्बर 2003 से विशाखपट्नम पत्तन न्यास के अध्यक्ष हैं ।

श्री राकेश श्रीवास्तव, भा.प्र.से. सरकारी सेवा में हैं । उन्होंने रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव / निदेशक के रूप में, सचिव, कृषि विभाग के रूप में और राजस्थान सरकार में सचिव, पोत-परिवहन विभाग के रूप में सरकार में विविध वरिष्ठ स्तरों में काम किया । वे अब पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पोत-परिवहन विभाग में संयुक्त सचिव (पत्तन) के रूप में कार्यरत हैं ।

श्री प्रभाकर सरकारी सेवा में हैं और वे अब पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पोत-परिवहन विभाग के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं ।

2.2 निदेशकों का उपस्थिति-अभिलेख : 2006-07

वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में और 28.09.2006 को आयोजित पिछली साधारण वार्षिक बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नोक्तानुसार है :

निदेशक का नाम	मण्डल बैठकों की संख्या			पिछली वा.सा.बै.
	कुल	सेवाकाल के दौरान	उपस्थित	में उपस्थित
1. श्री के.आर.किशोर	9	3	3	-
2. श्री ए.के.धर	9	9	9	हाँ
3. कमडोर जी.वी.रत्नम	9	7	7	हाँ
4. श्री ए.के.भल्ला	9	9	9	नहीं
5. श्री टी.श्रीनिधि	9	9	8	नहीं
6. डॉ एस.नरसिंहाराव (लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष)	9	9	8	हाँ
7. श्री एन.के.गुप्ता	9	6	6	हाँ
8. डॉ.एस.कथिरोली	9	4	1	-

2.3 अन्य मण्डलों या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य / अध्यक्ष रहे हैं :

	निदेशक	बाहरी ओहदों की संख्या	
		निदेशकत्व	समितिगत
1)	श्री के.आर.किशोर	2	-
2)	श्री ए.के.धर	-	-
3)	कमडोर जी.वी.रत्नम	-	-
4)	श्री ए.के.भल्ला	2	-
5)	श्री टी.श्रीनिधि	3	1
6)	डॉ एस.नरसिंहाराव	-	-

2.4 आयोजित मण्डल की बैठकों के विवरण : 2006-07

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	05-04-2006	नई दिल्ली	5
2.	29-04-2006	चेन्नई	5
3.	16-06-2006	नई दिल्ली	6
4.	29-07-2006	नई दिल्ली	6
5.	28-08-2006	नई दिल्ली	6
6.	28-10-2006	चेन्नई	5
7.	16-12-2006	नई दिल्ली	5
8.	27-01-2007	नई दिल्ली	6
9	23-02-2007	नई दिल्ली	6

3 लेखा-परीक्षा समिति :

3.1 समवाय अधिनियम, 1956 और शेयरी बाज़ारों के साथ किए जानेवाले सूचीकरण समझौतों की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति के गठन के लिए अब जो निदेशक मण्डल के समावेशगत स्वरूप है वह पर्याप्त नहीं है । लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में कम से कम दो सदस्यों की उपस्थिति हो या लेखा-परीक्षा समिति के सदस्यों के एक-तिहाई हो, जो भी ज्यादा हो, परन्तु कम से कम एके स्वतंत्र सदस्य की उपस्थिति होनी चाहिए । समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 292-क के प्रावधानों और साथ ही साथ सूचीकरण समझौते के खंड वाक्य 49 की अपेक्षाओं के अनुसार मण्डल ने इस समिति के अधिकार, संदर्भ की शर्तें और विनियम निश्चित किए हैं । समवाय सचिव ही लेखा-परीक्षा समिति का सदस्य-सचिवत्व निभाता है । इस समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त) और सांविधिक लेखा-परीक्षक, आंतरिक लेखा-परीक्षक भी उपस्थित हुए । यही नहीं, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यपालक भी जब भी लेखा-परीक्षा द्वारा अपेक्षित हो, लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित हुए ।

3.2 दिनांक 31.03.2007 तक लेखा-परीक्षा समिति का गठन निम्नोक्तानुसार है :-

1. डॉ. एस.नरसिंहाराव : अध्यक्ष
2. श्री टी.श्रीनिधि : सदस्य
3. कमडोर जी.वी.रत्नम : सदस्य

3.3 वर्ष 2006-07 के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों और उनमें उपस्थिति के विवरण :

वर्ष 2006-07 के दौरान आयोजित लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों के विवरण :

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	28.04.2006	चेन्नई	2
2.	15.06.2006	चेन्नई	2
3.	29.07.2006	नई दिल्ली	3
4.	02.09.2006	विशाखपट्नम	3
5.	28.10.2006	चेन्नई	2
6.	27.01.2007	नई दिल्ली	3

वर्ष 2006-07 के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति के विवरण :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	बैठकों की संख्या		
		कुल	सेवाकाल के दौरान	उपस्थित
1.	डॉ एस.नरसिंहाराव	6	6	6
2.	कमडोर जी.वी.रत्नम	6	3	3
3.	श्री टी.श्रीनिधि	6	6	3
4.	डॉ एस.कथिरोली	6	3	3

4 निदेशकों का पारिश्रमिक :

4.1 डी.सी.आई. एक भारत सरकार का उपक्रम होने के कारण, प्रशासनिक मंत्रालय पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्राप्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार ही इसके पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक देय है ।

4.2 आंशकालिक सरकारी निदेशक इस समवाय से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं ।

4.3 आंशकालिक अनधिकारिक निदेशकों को उनके उपस्थित प्रत्येक मण्डल / समिति की बैठक के लिए रु.3000/- का उपस्थिति-पारिश्रमिक दिया जाता है ।

4.4 इस समवाय के किसी भी निदेशक को लाभों पर कमीशन अदा करने की कार्यनीति डी.सी.आई. के लिए नहीं है ।

4.5 पूर्णकालिक निदेशकों को 2006-07 वर्ष के दौरान अदा किया गया पारिश्रमिक निम्नोक्तानुसार है :-

(रुपये लाखों में)

नाम	वेतन	भविष्य निधि अंशदाान	चिकित्सा	कुल
1. श्री एन.के.गुप्ता✲	4.59	0.40	0.29	5.28
2. श्री ए.के.धर	7.30	0.62	0.07	7.99
3. कमडोर जी.वी.रत्नम✲	5.04	0.43	0.00	5.47

✲ वर्षांश के लिए

4.6 उपर्युक्त के अलावा,जहाँ कहीं आवश्यक हो, निदेशकों को मण्डल और अन्य बैठकों में उपस्थित होने हेतु, यात्रा और अन्य संबंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

5. शेयरधारी समिति

शेयरधारी / निवेशक व्यथा-निवारण समिति :

एक शेयरधारी / निवेशक व्यथा-निवारण समिति शेयरधारियों / निवेशकों की शिकायतें निपटा रही है और निवारणोपाय तथा तरक्की के उपाय सुझा रही है ।

5.1दिनांक 31.03.2007 तक शेयरधारी / निवेशक व्यथा-निवारण समिति का गठन निम्नोक्तानुसार है :-

1) डॉ एस.नरसिंहाराव : अध्यक्ष
2) श्री ए.के.धर : सदस्य

इस वर्ष के दौरान जनवरी 2007 महीने में इस समिति की एक बैठक हुई ।

5.2 समवाय सचिव अनुपालन अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट हैं ।

5.3 वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 591 शिकायतें प्राप्त हुईं ।

5.4 पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ताओं ने इन शिकायतों को निवेशकों की संतुष्टि तक निपटाने के लिए हर संभव प्रयास किया ।

5.5 दिनांक 31 मार्च, 2007 तक 1 अनिर्णीत पड़ी शिकायत थी, जो 2 अप्रैल, 2007 तक निपटाई गईं ।

शेयर अंतरण समिति :

इस समवाय ने 1997 वर्ष में एक शेयर अंतरण समिति का गठन किया । दिनांक 31 मार्च, 2007 तक इस शेयर अंतरण समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (प्रचालन व प्राविधिक) सदस्यों के रूप में रहे थे । यह समिति इस समवाय के शेयरों का अंतरण और प्रसारण अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत है । शेयर अंतरण / प्रसारण और अन्य महत्त्वपूर्ण मामलों को समय पर समवाय सचिव के नियंत्रण के अधीन निपटाया जाता है । दिनांक 31.03.2007 तक इस समवाय के 49,755 शेयरधारी रहे हैं । यह समवाय शेयरधारी संबंधित कार्यकलापों को परम अग्रता देकर शीघ्रता से ऐसे मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम बढाता आ रहा है । हैदराबाद के सर्वश्री कॉर्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड जमाकर्ताओं के साथ वस्तुगत शेयर पंजीकरण कार्य और इलेक्ट्रानिक इण्टरफ़ेस सुविधागत सेवाओं की व्यवस्था के लिए, इस समवाय के पंजीयक और अंतरण अभिकरण के रूप में रहे ।

6 साधारण बैठकें :

6.1 पिछली 3 वार्षिक साधारण बैठकों के विवरण :-

	2003-2004 28वीं वा.सा.बै.	2004-2005 29वीं वा.सा.बै.	2005-06 30वीं वा.सा.बै.
1. दिनांक	24-09-2004	29-09-2005	28-09-2006
2. समय	1600 बजे	1000 बजे	1000 बजे
3. स्थान	एन.डी.एम.सी. इनडोर स्टेडियम, तालकतोरा गार्डेन, नई दिल्ली- 110 001	एन.डी.एम.सी. इनडोर स्टेडियम, तालकतोरा गार्डेन, नई दिल्ली- 110 001	एन.डी.एम.सी. इनडोर स्टेडियम, तालकतोरा गार्डेन, नई दिल्ली - 110 001

6.2 पिछले वर्ष के दौरान डाक मतपत्र द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित नही किया गया ।

6.3 डाक मत पत्र द्वारा आयोजित करने को अपेक्षित इस वर्ष की वा.सा.बै. के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

7 प्रकटन

7.1 लेखाकरण मानक 18 (पुनरीक्षित 2000) की शर्तो के अंतर्गत, राष्ट्र नियंत्रित अन्य उद्यमों के साथ दलाय संबंधों और ऐसे उद्यमों से संव्यवहार के संबंध में राष्ट्र नियंत्रित उद्यम (वह उद्यम जो केन्द्रीय सरकार और / या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो) की वित्तीय विवरणियों में कोई प्रकटन अपेक्षित नहीं । वर्ष 2006-07 वर्ष के डी.सी.आई. के संबधित दलीय संव्यवहार केवल अन्य राष्ट्र नियंत्रित उद्यमों के साथ ही रहे हैं ।

7.2 पूँजी बाज़ारों संबंधी मामलों पर विनियमन प्राधिकारियों की अपेक्षाओं का इस समवाय ने अनुपालन किया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान शेयर बाज़ार या एस.ई.बी.आई. या सांविधिक प्राधिकरण द्वारा इस समवाय के प्रति कोई दंड / अवक्षेप नहीं है ।

7.3 डी.सी.आई. भारत सरकार का उपक्रम है और इसके लिए सुस्थापित सरकारी मार्गदर्शन सूत्र हैं और अवैध या अनैतिक आचरण के बारे में प्रतिवेदित करने का यंत्रांग है । कर्मचारी विधि, नियम, विनियम या नैतिक आचरण के उल्लंघन के बारे में अपने पर्यवेक्षक / मुख्य सतर्कता अधिकारी / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सम्मुख प्रतिवेदित करने की स्वतंत्रता रखते हैं । निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारी, ऐसे प्रतिवेदन को अनिवार्यता से गोपनीय रखते हैं और वह सुनिश्चित रखते हैं कि ऐसे सावधान करनेवाले व्यक्ति किसी पक्षपाती व्यवहार के शिकार न हो जाएँ । किसी भी कर्मचारी को लेखा-परीक्षा समिति के यहाँ पहुँचने से रोका नहीं गया है ।

7.4.क) **मण्डल का गठन** : - ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकारी उपक्रम है । इस समवाय की संगम नियमावली के अनुसरण में, निदेशक मण्डल के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । इस समवाय के निदेशकों की वर्तमान संख्या 5 (पाँच) है, जिसमें 2 पूर्णकालिक आधिकारिक निदेशक, दो आंशकालिक आधिकारिक निदेशक तथा 1 आंशकालिक अधिकारेतर (स्वतंत्र) निदेशक हैं । मंत्रालय से अप्रैल 2005 महीने में अनुरोध किया गया कि स्वतंत्र निदेशक बल को पाँच तक बढा दिया जाए ताकि सूचीकरण समझौते के संशोधित खण्ड वाक्य - 49 की अपेक्षाएँ पूरी हो सकें । मंत्रालय ने अपने पत्र सं.28028/29/2005-डी.सी.आई., दिनांकित 02.01.2006 द्वारा सूचित किया कि स्वतंत्र निदेशक बल को पाँच तक बढाते हुए अधिकारेतर (स्वतंत्र) निदेशकों के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई सरकारी पद्धति के अनुसार हो रही है ।

ख) मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों की आचार संहिता :-

मण्डल ने दिनांक 06.12.2005 को आयोजित अपनी बैठक में सूचीकरण समझौते के खण्ड वाक्य - 49 की अपेक्षाओं के अनुसार मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों की आचार संहिता (संहिता) को अपनाया है । इस संहिता में सविवरणात्मक रूप से इस समवाय के व्यवहारों के प्रबंधन में आचरण नीतिपरक और पारदर्शितायुत प्रक्रिया के मानक स्थापित किए गए हैं जिनका केन्द्रक विषय निम्नोक्तानुसार है : 'इस समवाय के मण्डल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी, इस समय के लिए कार्यरत होते समय और इस समवाय का प्रतिनिधित्व करते समय, सर्वोच्च स्तरीय सच्चरित्र, सत्यनिष्ठा, स्वच्छता और नीतिपरक आचरण के साथ व्यवहार संभालेंगे, जिसमें किसी व्यक्तिगत निर्णय को अंतर्निहित होने नहीं देंगे और न्यासीय अनिवार्यताओं को पूरा करेंगे ।'

इस संहिता की नकल को इस समवाय के वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू ड्रेज-इण्डिया.कॉम पर लगा दिया गया । इस संहिता को मण्डल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधीय अधिकारियों में परिचालित किया गया है और उन्होंने इसके अनुपालन की अभिपुष्टि की है । अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से हस्ताक्षरित एक घोषणा-पत्र नीचे दिया जा रहा है :

> "मैं इसके द्वारा इस बात की अभिपुष्टि कर रहा हूँ कि इस समवाय ने मण्डल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधीय अधिकारियों से यह अभिपुष्टि पाई है कि उन्होंने वित्त वर्ष 2006-07 के विषय में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों की आचरण संहिता का अनुपालन किया है ।

(ए.के.धर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक"

ग) इस समवाय का कोई सहायक समवाय नहीं है ।

घ) इस समवाय ने वर्ष 2006-07 की वित्तीय विवरणियों की तैयारी में निर्धारित लेखाकरण मानकों का पालन किया है ।

ङ) सभी प्रधान संविदाओं के इस समवाय द्वारा संभाले जाने से पहले, उनको जोख़िम के निर्धारणार्थ, विभिन्न सरकारी मार्गदर्शन सूत्रों के अनुसार, इस समवाय के विभिन्न विभागीय स्तरों में भेजा जाता है । इस समवाय ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जिसमें जोख़िम निर्धारण और पद्धतियों को घटाने हेतु एक यंत्रांग की स्थापना के लिए इस समवाय के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं । इस समिति की भूमिका है - इस समवाय की सम्पत्तियाँ, राजस्व, कर्मचारी और प्रतिष्ठा के लिए जो जोख़िम हो सकते हैं, उनकी सूची बनाना, उनके लिए जो संरक्षण उपलब्ध हैं उनकी और जोख़िम के निराकरण के उपायों की भी सूची बनाना तथा जोख़िमों और संरक्षण को पहचानने की विद्यमान पद्धतियों एवं कार्यनीतियों की पर्याप्तता की समीक्षा भी करना ।

च) प्रबंधीय विचार-विमर्श और विश्लेषण प्रतिवेदन इस वार्षिक प्रतिवेदन के अभिन्न अंग हैं ।

छ) किसी भी वित्तीय या वाणिज्यिक लेन-देन में व्यापक रूप से इस समवाय के हितभंगकारी किसी वैयक्तिक पक्षपात के बारे में किसी भी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी से इस मण्डल को कोई प्रकटन प्राप्त नहीं हुए ।

ज) मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी, अर्थात महा प्रबंधक (वित्त) ने वर्ष 2006-07 की वित्तीय विवरणियों के संबंध में खण्डवाक्य 49(5) में यथानिहित निर्धारित प्रमाणन की व्यवस्था की है ।

झ) यह समवाय शेयर बाज़ारों को निगमित अभिशासन पर तिमाही अनुपालन प्रतिवेदन, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करता रहा है ।

ट) अनधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अंगीकरण :-

लेखा-परीक्षा अर्हता : यह समवाय वित्तीय विवरणियों के बिना शर्त की शासन प्रणाली में है ।

8. संचार साधन :

8.1 तिमाही परिणाम :

वर्ष 2007-2008 के लिए मण्डल द्वारा तिमाही परिणामों के विचार किए जाने का अनुसूचीबद्ध कार्यक्रम निम्नोक्तानुसार है :

क) दिनांक 30 जून, 2007 को समाप्त पहली तिमाही के परिणाम	:	30.07.2007.
ख) दिनांक 30 सितम्बर, 2007 को समाप्त दूसरी तिमाही के परिणाम	:	दिनांक 31.10.2007 को या उससे पहले
ग) दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 को समाप्त तीसरी तिमाही के परिणाम	:	दिनांक 31.01.2008 को या उससे पहले
घ) दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त चौथी तिमाही के परिणाम	:	दिनांक 30.04.2008 को या उससे पहले

8.2 इन तिमाही परिणामों को घोषणा-तिथि से 48 घंटों के अंदर अंग्रेज़ी समाचार पत्र - 'दि इकनामिक टाइम्स' - सभी संस्करण - और हिन्दी समाचार पत्र - हिन्दुस्तान - दिल्ली सस्करण - में प्रकाशित किया जाता है ।

8.3 इन तिमाही परिणामों को इस समवाय के वेबसाइट - डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू ड्रेज-इण्डिया.कॉम पर मण्डल द्वारा विचार किए जाने के बाद और अभिलेखांकित किए जाने के बाद, प्रदर्शित किया जाता है ।

8.4 इस समवाय के वेबसाइट - डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू ड्रेज-इण्डिया.कॉम पर कार्यालयीन समाचारों को, यदि कोई हों, प्रदर्शित किया जाता है ।

8.5 इस समवाय के वेबसाइट - डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू ड्रेज-इण्डिया.कॉम पर .संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के सम्मुख रखे गए प्रस्तुतियों को, यदि कोई हों, प्रदर्शित किया जाता है ।

9. साधारण शेयरधारियों संबंधी जानकारी :

शेयरधारियों संबंधी अपेक्षित सूचना नीचे दी जा रही है :

9.1	वार्षिक साधारण बैठक - तिथि, समय और स्थान	:	28 सितम्बर, 2007, 1000 बजे, सिरि फ़ोर्ट ऑडिटोरियम नंबर 1, सिरि फ़ोर्ट कल्चरल काम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 049
9.2	वित्त वर्ष	:	1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक ।
9.3	बही बंद की तिथि	:	दिनांक 08.09.2007 से 28.09.2007 तक (दोनों दिनों सहित)
9.4	लाभांश अदा करने की तिथि	:	दिनांक 28-09-2007 को आयोजित होनेवाली 31वीं वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारियों से घोषणा किए जाने के बाद अनंतिम रूप से अक्तूबर, 2007 के तीसरे हफ़्ते में अंतिम लाभांश अदा किया जाएगा ।

9.5 शेयर बाज़ारों में सूचीकरण :

1) नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड, एक्स्चेंज प्लाज़ा, बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स,
बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई - 400 051

2) दिल्ली स्टॉक एक्स्चेंज एसोसिएशन लिमिटेड, डी.एस.ई.हाऊस,
3/1 आसफ़ अली रोड, नई दिल्ली - 110 002

3) शेयर बाज़ार, मुम्बई पहली मंज़िल,
न्यू ट्रेडिंग रिंग, रोटान्डा बिल्डिंग,
फ़िरोज जिजीभाइ टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फ़ोर्ट, मुम्बई - 400 001

4) कलकत्ता स्टॉक एक्स्चेंज एसोसिएशन लिमिटेड,
7, लैयन्स रेंज, कोलकाता - 700 001.

वित्त वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क राष्ट्रीय, दिल्ली और मुम्बई शेयर बाज़ारों को अदा किया गया है । कलकत्ता शेयर बाज़ार को वर्ष 2007-08 का बिल अभी प्रस्तुत करना है । कलकत्ता शेयर बाज़ार से बिल प्राप्त होते ही उनको भुगतान भेजा जाएगा 1

9.6 स्टॉक कोड :

वस्तुगत

नेशनल एक्स्चेंज	:	ड्रेजकार्प
दिल्ली शेयर बाज़ार	:	6398
मुम्बई शेयर बाज़ार	:	523618
कोलकाता शेयर बाज़ार	:	14050

व्यापार हेतु डीमॉट फ़ार्म : आई.एस.आई.एन. नंबर : आई.एन.ई. 506ए01018

9.7 वर्ष 2006-2007 के दौरान बी.एस.ई. सेन्सेक्स और एन.एस.ई. (एस एण्ड पी सी.एन.एक्स. निफ़्टी) की तुलना में इस समवाय का बाज़ारी मूल्य :

मास	बी.एस.ई. शेयर मूल्य		बी.एस.ई. सेन्सेक्स		एन.एस.ई. शेयर मूल्य		एन.एस.ई.(एस एण्ड पी सी.एन.एक्स निफ़्टी)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2006	690.00	600.00	12102.00	11008.43	689.00	566.50	3598.95	3290.35
मई, 2006	675.80	575.10	12671.11	9826.91	663.90	526.65	3774.15	2896.40
जून, 2006	615.00	460.05	10626.84	8799.01	620.00	450.00	3134.15	2595.65
जुलाई, 2006	545.00	460.05	10940.45	9875.35	548.00	460.00	3208.85	2878.25
अगस्त, 2006	550.00	464.00	11794.43	10645.99	559.80	465.55	3452.30	3113.60
सितम्बर, 2006	581.00	501.15	12485.17	11444.18	582.35	486.25	3603.70	3328.45
अक्तूबर, 2006	652.95	575.00	13075.85	12178.83	655.00	576.00	3782.85	3508.65
नवम्बर, 2006	625.00	571.10	13799.08	12937.30	638.00	572.00	3976.80	3737.00
दिसम्बर, 2006	610.00	558.05	14035.30	12801.65	613.00	554.05	4046.85	3657.65
जनवरी, 2007	648.95	554.05	14325.92	13303.22	682.40	560.00	4167.15	3833.60
फरवरी, 2007	585.00	495.40	14723.88	12800.91	584.00	450.05	4245.30	3674.85
मार्च, 2007	544.00	470.15	13386.95	12316.10	535.00	458.90	3901.75	3554.50

स्रोत : शेयर बाज़ार, मुम्बई और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज का वेबसाइट

9.8 पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता :-

सर्वश्री कॉर्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, इस समवाय के आर एण्ड टी अभिकर्ता हैं ।

9.9 शेयर अंतरण प्रणाली :

शेयर अंतरणों की प्रक्रिय के लिए प्रलेखन का काम पंजीयकों द्वारा किया जा रहा है । पंजीयक इस समवाय को इस समवाय की शेयर अंतरण समिति के अनुमोदनार्थ आवधिक रूप से शेयर अंतरण ज्ञापन भेजते रहते हैं । पंजीयकों को समिति के अनुमोदन के संसूचित किए जाने के बाद, वे हस्तांतरिती के हित में शेयर प्रमाण-पत्रों को पृष्ठांकित करते हैं और उनको हस्तांरितियों की सेवा में भेजते हैं । शेयर अंतरणों को पंजीकृत किया जाता है और यदि प्रलेखन सभी पहलुओं में सही और वैध हों तो प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अंदर शेयर प्रमाण-पत्र प्रेषित किए जाते हैं ।

9.10.दिनांक 31.03.2007 तक शेयरधारितागत वितरण :

वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता की प्रतिशतता
अ. प्रोमोटर वर्ग :		
1 भारतीय (भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिती)	21997700	78.56
2 विदेशी	-	-
कुल शेयरधारिता अ=अ(1)+अ(2)	21997700	78.56
आ.सार्वजनिक शेयरधारिता :		
1 संस्थागत		
क. परस्पर हित निधि और यू.टी.आई.	1891467	6.76
ख. वित्तीय संस्थान / बैंक	84326	0.30
ग. केन्द्रीय / राज्य सरकार (सरकारें)	-	-
घ. अभियान पूंजी निधियाँ	-	-
ङ. बीमा कम्पनियाँ	1537938	5.49
च. विदेशी संस्थागत निवेशक	1348336	4.82
छ. विदेशी अभियान पूंजी निवेशक	-	-
ज. अन्य कोई	-	-
लघु-योग आ(1)	4862067	17.36
2 **संस्थाओं से अन्य**		
क निगमित निकाय	207184	0.74
ख व्यक्ति		
1) रु.1 लाख तक नाम मात्र शेयर पूंजीवाले शेयरधारी व्यक्ति	835368	2.97
2) रु:1 लाख से अधिक नाममात्र शेयर पूँजीवाले शेयरधारी व्यक्ति	71875	0.26
ग अन्य कोई (विवरण दें)		
1) प्रवासी भारतीय	20649	0.09
2) न्यास	37	0.00
3) निकासी सदस्य	5120	0.02
लघु-योग आ(2)	1140233	4.08
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता आ=आ(1)+आ(2)	6002300	21.44

सकल योग = अ + आ	28,000,000	100.000

9.11 शेयरों का विभौतिकीकरण / पुनर्भौतिकीकरण एवं परिसमापनता :-

इस समवाय के शेयरों का व्यापार अनिवार्य रूप से विभौतिकीकृत रूप में ही किया जाता है ।

प्रत्येक रु.10/- के पूर्णतया प्रदत्त 2,80,00,000 शेयरों में से 2,19,97,700 शेयर (78.56%) भारत के राष्ट्रपति और उनके 9 नामितों की धारिता में हैं तथा बाकी 60,02,300 शेयर (21.44%) अन्यों की धारिता में हैं । दिनांक 31.03.2007 तक, अन्यों की धारिता में रहे 60,02,300 शेयरों में से 59,97,140 को डीमेटीरियलाइज किया गया है । वर्ष 2006-2007 में 3 डीमॉट अनुरोध प्राप्त किए गए और 6,500 शेयरों को डीमेटीरियलाइज किया गया है ।

इस वर्ष के दौरान कुल 533 शेयरों के लिए, शेयर पुनर्भौतिकीकरण हेतु, हमें 14 विनतियाँ प्राप्त हुईं । उन विनतियों के अनुसार, पुनर्भौतिकीकृत शेयर प्रमाणपत्रों को जारी किया गया ।

9.12 बकाये रह गए जी.डी.आर./ए.डी.आर./वारंट या अन्य कोई परिवर्तनीय दस्तवेज़, परिवर्तन तिथि और ईक्विटी पर संभाव्य प्रभाव :-

इस समवाय ने कोई जी.डी.आर./ए.डी.आर./वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज़ जारी नहीं किए और अत: उक्त संबंधी कोई बकाये नहीं रह गए, उनकी परिवर्तन तिथि और ईक्विटी पर कोई संभाव्य प्रभाव का सवाल भी नहीं रहा ।

9.13 परियोजना स्थान :-

इस समवाय के परियोजनालय वर्तमान में हाल्दिया, कोलकाता, पारादीप, विशाखपट्नम, चेन्नई, नागपट्नम, रामेश्वरम, कोचिन, मंगलूर और मुम्बई में स्थित हैं । इस समवाय का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है और प्रधान कार्यालय विशाखपट्नम में ।

9.14 निवेशकों के पत्राचार हेतु पता :

समवाय

समवाय सचिव,
ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड
समवाय सचिव विभाग
''निकर्षण सदन'', पत्तन क्षेत्र,
विशाखपट्नम - 530035.
दूरभाष: 0891- 2566537/ 2871 207/298
फ़ैक्स :0891 - 2529846/ 2560581/ 2565920
ई-मेल : sreekanth@dredgeindia.co.in

पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता :-

इकाई : ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड
कॉर्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड
प्लॉट नं:17 से 24 तक, विठल राव नगर, माधपुर,
हैदराबाद - 500 081
दूरभाष : (040) 23420818
फैक्स : (040) 23420814
ई-मेल : mailmanager@karvy.com.
(कृपया पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता के साथ किए जानेवाले सभी पत्राचार में कृपया उल्लेख करें कि इकाई का नाम ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड है ।)

10 अन्य सूचना :

क. मण्डल की बैठकें, उसकी समितियों की बैठकें और क्रियाविधि :

समवाय अधिनियम / सूचीकरण समझौते के अंतर्गत यथापेक्षित मण्डल की / उसकी समितियों की न्यूनतम बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित होती हैं । मण्डल की बैठकें एक वर्ष पहले ही कार्यक्रमबद्ध की जाती हैं और करीब-करीब कार्यक्रमबद्ध तिथियों को ही आयोजित की जाती हैं । उपर्युक्त के अलावा, इस समवाय की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श हेतु, समुचित पूर्व-सूचना देते हुए, मण्डल की अतिरिक्त बैठकें भी आयोजित की जाती हैं । व्यापारगत अत्यावश्यक परिस्थितियों या अत्यावश्यक मामलों के विषय में, संकल्प परिचालन द्वारा पारित किए जाते हैं जिनको मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाता है । मण्डल के सम्मुख रखी जानेवाली सूचना में निम्नोक्त सम्मिलित हैं :-

i. वार्षिक प्रचालन योजनाएँ और बजट तथा अन्य अद्यतन अंश ।

ii. पूँजीगत बजट और अन्य अद्यतन अंश ।

iii. इस समवाय के तिमाही परिणाम और इसके प्रचालन प्रभाग / व्यापार खंड ।

iv. लेखा-परीक्षा समिति और मण्डल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त ।

v. मण्डल के बिलकुल निकट के निम्न स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति अैर पारिश्रमिक संबंधी सूचना जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी और समवाय सचिव की नियुक्ति या उनके हटा दिए जाने संबंधी सूचना भी सम्मिलित है ।.

vi. कारण बताओ, माँग, अभियोजन सूचनाएँ और दंड सूचनाएँ, जो विषयपरक महत्त्वपूर्ण हैं ।

vii. घातक और घोर दुर्घटनाएँ, ख़तरनाक घटनाएँ, किसी वस्तु के बहि:स्राव या प्रदूषण संबंधी समस्याएँ ।

viii. इस समवाय के प्रति या इसके द्वारा वित्तीय अनिवार्यताओं में कोई वस्तुगत दोष या इस समवाय द्वारा की गई सेवाओं के प्रति व्यापक रूप से भुगतान न हुआ हो ।

ix. ऐसा कोई मामला जिसमें व्यापक स्वरूप का संभाव्य सार्वजनिक दायित्व दावे आवरित हों, जिनमें ऐसे न्यायिक निर्णय या आदेश भी सम्मिलित हों, जिनसे इस समवाय के आचरण पर कटु आलोचना हुई हो या किसी और उद्यम पर प्रतिकूल विचार किया गया है जिसका प्रतिकूल परिणाम इस समवाय पर हो सकता है ।

x. किसी संयुक्त अभियान या सहयोगी समझौता के विवरण ।

xi. सद्भावना, ब्रांड ईक्विटी या बौद्धिक संपत्ति, यदि कोई हो, के प्रति व्यापक भुगतानवाले संव्यवहार ।

xii. महत्त्वपूर्ण श्रमिक संस्थाएँ और उनके प्रस्तावित समाधान । मानव संसाधन / औद्योगिक संबंध क्षेत्र में मज़दूरी समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का कार्यान्वयन इत्यादि जैसे कोई महत्त्वपूर्ण विकास ।

xiii. निवेशनों, सहायक संस्थाओं, परिसंपत्तियों की वस्तुगत स्वरूपी बिक्री, यदि कोई हो, जो साधारण व्यापारिक क्रम में न हो ।

xiv. विदेशी मुद्रागत संव्यवहारों के तिमाही विवरण और यदि विषयासक्त हो, प्रतिकूल विनिमय दर संचलन के सीमित रखने के लिए प्रबंधन समिति द्वारा किए गए उपाय ।

xv. किन्हीं विनियमन, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं का अननुपालन और शेयरधारी सेवा जैसे कि लाभांश का अदा न होना, शेयर अंतरण में विलंब, इत्यादि ।

xvi. मण्डल की समितियों के संदर्भगत शर्तें ।

ख. मण्डल और उसकी समितियों की बैठकों की कार्यसूची :

इस समवाय के सभी विभागों को उनके कार्यों की योजना अग्रिम रूप से बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, विशेषकर मण्डल / समिति की बैठकों में विचार-विमर्श / अनुमोदन / निर्णय या सूचनार्थ प्रस्तुति के लिए अपेक्षित मामलों के संबंध में । मण्डल के सदस्यों को संगठन संबंधी सारी जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाती है । अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अन्य कार्यकारी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधीय अधिकारियों से परामर्श कर मण्डल की बैठकों के कार्यसूची पत्रों को अंतिम रूप देते हैं और तभी उनकी सूचना समवाय सचिव को, उनका परिचालन मण्डल / समिति के मण्डल की टिप्पणियों,प्रबंधन प्रतिवेदनों और अन्य स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियों के साथ कार्यसूची अग्रिम रूप से निदेशकों में परिचालित की जाती है । विशेष और अपवादी परिस्थितियों में कार्यसूची में अतिरिक्त और अनुपूरक मदें अनुमेय होती हैं । नाज़ुक विषयगत मामलों पर, अग्रिम रूप से लिखित रूप में सामग्री के परिचालित किए बिना भी बैठक में विचार-विमर्श किया जा सकता है ।

ग. बैठक के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था :

मण्डल / समिति के द्वारा नोट किए जाने हेतु, पिछली बैठक (बैठकों) के निर्णयों / कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का प्रतिवेदन, मण्डल / समिति की शीघ्र - आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाता है ।

घ. मण्डल और समिति की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त का अभिलेखांकन :

समवाय सचिव प्रत्येक मण्डल और समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त को अभिलेखांकित करता है । अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित होने के बद कार्यवृत्त को मण्डल / समिति की बैठकों के सभी सदस्यों में परिचालित किया जाता है । कार्यवृत्त की पुष्टि मण्डल / समिति की अगली बैठक में की जाती है । किसी भी बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त को बैठक के समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर कार्यवृत्त पंजी में प्रविष्ट किया जाता है ।

ङ. सचिवीय जाँच :

शेयर बाज़ारों के साथ हुए सूचीकरण समझौतों की अपेक्षाओं के अनुसार, दोनों जमाकर्ताओं के साथ रही इस समवाय की कुल अनुज्ञप्त पूँजी और कुल प्रदत्त तथा सूचीकृत पूँजी के मेल-मिलाप के प्रयोजनार्थ, वर्ष 2005-06 की सभी तिमाहियों के लिए तिमाही तौर पर सचिवीय जाँच आयोजित की गई । सर्वश्री पी.एन. राव एण्ड कंपनी, समवाय सचिव, विशाखपट्नम, से प्राप्त सचिवीय जाँच प्रतिवेदन को दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता के शेयर बाज़ारों तथा राष्ट्रीय शेयर बाज़ार के सम्मुख सभी तिमाहियों के लिए प्रस्तुत किया गया ।

च. सूचीकरण समझौते के खण्ड वाक्य 51 के अनुसार वित्तीय परिणामों और शेयरधारिता रीति को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (निक) से निर्वाहित इलेक्ट्रानिक डॉटा इन्फ़ोर्मेशन फाइलिंग और रिट्रीवल (ई.डी.आई.एफ़.ए.आर.) वेबसाइट पर लगाया जाता है । समवाय सचिव अनुपालन अधिकारी के रूप में उक्त सूचना को ई.डी.आई.एफ़.ए.आर. प्रणाली पर लगाने की ज़िम्मेदारी रखता है ।

निगमित अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में

सदस्य,

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

हमने दिनांक 31.03.2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में शेयर बाज़ारों के साथ उक्त समवाय के सूचीकरण समझौते के खण्ड 49 में यथा-विनिर्दिष्ट, ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड के निगमित अभिशासन संबंधी निबंधनों के अनुपालन की परीक्षा की है ।

निगमित अभिशासन के निबंधनों का अनुपालन करना प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है । हमारी परीक्षा तो, निगमित अभिशासन के निबंधनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस समवाय द्वारा अपनाई गईं तत्संबंधी पद्धतियों और कार्यान्वयन तक ही सीमित है । यह न तो लेखा-परीक्षा है या न ही इस समवाय की वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय की अभिव्यक्ति ।

हमारी राय में और अपनी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचीकरण समझौते में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन के निबंधनों का इस समवाय ने अनुपालन किया है :

1. सूचीकरण समझौते के खण्ड वाक्य 49 के प्रावधानों के अनुसार, इस समवाय के 50% निदेशक स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं ।

हमारा कथन है कि इस समवाय द्वारा निर्वाहित अभिलेखों के अनुसार, एक महीने से ज्यादा अवधि के लिए कोई विनिवेशक शिकायत अनिर्णीत नहीं पड़ी रही ।

हमारा आगे का कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो इस समवाय को भविष्य में चला सकने के लिए आश्वासन है या न ही इस समवाय के व्यवहार चलाने में प्रबंधन समिति की दक्षता या प्रभावात्मकता के लिए ।

कृते श्रीराममूर्ति एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

स्थान : विशाखपट्नम
दिनांक: 24 जुलाई, 2007

(डी.प्रसन्नकुमार)
भागीदार

प्रबंधीय विचार-विमर्श और विश्लेषण प्रतिवेदन

निकर्षण उद्योग की संरचना और उसका विकास

1. भारत का लगभग 7,500 किलोमीटर तक विस्तृत समुद्री तट है । पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पो.प.स.प.रा.मं.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 12 महा पत्तन हैं, भारत सरकार (भा.स.) राज्य सरकारों के अधीनस्थ और ग़ैर-सरकारी पत्तनों के अंतर्गत करीब-करीब 180 अप्रधान पत्तन हैं । भारत के के पत्तनगत यातायात को लगभग 75% को बहुमात्रा में प्रधान पत्तनों द्वारा संभाला जाता है और उसका शेष भाग लघु प्रधान पत्तनों द्वारा संभाला जाता है । भारत सरकार की 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, प्रधान पत्तन समग्र भारतीय निकर्षण विपण (ग़ैर-सरकारी पत्तनों को छोड़कर) के लगभग 92% और 95% का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

2. आगामी वर्षों में, यह अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्तरों में व्यापक वृद्धि होगी जिससे पत्तनगत क्षमताओं को बढाने की आवश्यकता पड़ेगी । योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव-पत्र में कहा कि वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक के चार वर्षों में जी.डी.पी. वृद्धि की दर के 8% से कुछ अधिक ही औसत पर पहुँचने की संभावना थी । परन्तु इसकी गति में 10वीं योजनावधि के आरंभ में अर्थ व्यवस्था मे विद्यमान परिमाणात्मक अधिक क्षमताओं से सहायता मिली थी । अब ये संभावनाएँ लगभग लुप्त हो गई हैं । अत: भावी वृद्धि नई क्षमता के सृजन से ही संभव हो सकती है । सभी नमूने इसीको संसूचित करते हैं कि 11वीं योजना में औसत वृद्धि की दर को अतिरिक्त नीतिगत पहलों से करीब-करीब 10% तक ले जाया जा सकता है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रस्ताव पत्र में यह भी कहा गया कि यद्यपि 10वीं योजना के दौरान कुछ तरक्क़ी हुई है, भविष्य के लिए समाविष्ट वृद्धिगत दरों को समर्थन देने के लिए पत्तन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विस्तार और आधुनिकीकरण होने की आवश्यकता है । उनको अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर तक यथा-समय पर लाने के लिए तथा कार्गो के आयात और निर्यात की निकासी के लिए 11वीं योजना पत्तनों और संबंधित आधारभूत व्यवस्था का विकास करेगी । वर्तमान प्रवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए यह अनुमानित है कि भारतीय पत्तनों को वर्ष 2004-05 में संभाले गए 520 मेट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2012 तक लगभग 800 मेट्रिक टन के माल का यातायात संभालना होगा । इसके लिए प्रधान और लघु पत्तनों में व्यापक क्षमता की वृद्धि की जानी अपेक्षित है । गहरे समुद्री पत्तन का विकास किया जाएगा और विद्यमान पत्तनों के वातप्रवाहों को जहाँ संभव हो, निर्माणगत निकर्षण द्वारा गहरा किया जाएगा ।

3. पत्तन क्षमता को विस्तार से, चाहे नये पत्तनों के निर्माण से हो या विद्यमान पत्तनों के विस्तार और विकास से हो, निर्माणगत निकर्षण और बढे हुए निर्वाहगत निकर्षण - दोनों के लिए अवसर उत्पन्न करेगा ।

4. भारतीय निकर्षण विपण का लगभग 93% तक रहे बड़े-बड़े पत्तनों के निर्माणगत और निर्वाहगत निकर्षण की अपेक्षा के अलावा, तट पोषण, तट संरक्षण और भूमि-उद्धार के लिए बहुत ही निम्नतर पैमाने पर भी अपेक्षाएँ विद्यमान हैं । अंतर्देशीय जल निकर्षण बड़े पैमाने पर नदी तट स्थित पत्तनों के लिए सीमित हो गया है । परन्तु भारतीय निकर्षण विपण प्रधानतया निर्वाहगत निकर्षण से चालू है ।

5. प्रधान पत्तनों के कुल रु.650 करोड़ का निकर्षण विपण प्रति वर्ष में से, लगभग रु.600 करोड़ निर्वाहगत निकर्षण विपण का प्रतिनिधित्व करता है और शेष रु.50 करोड़ निर्माणगत निकर्षण का । व्यापक रूप से पूँजीगत निकर्षण विपण की निम्नता, प्रधानतया पत्तन विकास कार्यक्रमों की निधि उपलब्धता और वसूली की अनिश्चितता की वज़ह से है । फिर भी, निकट भविष्य में नई-नई परियोजनाओं के तय होने की संभावना होने के कारण, आगामी वर्षों में निर्माणगत निकर्षण में परिमाणात्मक वृद्धि हो सकती है ।

निगमित कार्य-निष्पादन

6. प्रचालन

डी.सी.आई. भारत का बहुत ही बड़ा निकर्षण समवाय है और साधारणतया 100% क्षमता के उपयोग के करीब-करीब प्रचालन चला रहा है । क्षमता का उपयोग, डी.सी.आई. द्वारा वास्तविक निकर्षित राशि और उसकी निर्धारित वार्षिक निकर्षण क्षमता - इन दोनों का अनुपात है । वार्षिक निकर्षण क्षमता अनेक मापदंडों से निर्धारित की जाती है, जिनमें स्थापित हॉपर का आयतन, प्राक्कलित निकर्षण दिन, स्थान, मृदा लक्ष, भरी जानेवाली मिट्टी के लदानों की संख्या और डम्पन की दूरी सम्मिलित हैं । वर्ष 2005-06 में, डी.सी.आई. ने लगभग 91.10% तक की क्षमता के उपयोग को चालू किया (निकर्षण के वास्तविक दिनों और अन्य संगत अंशों के आधार पर) । कुछ निकर्षकों के विषय में, शुष्क गोदीकरण की अवधियों के बढाए जाने और आपाती शुष्क गोदीकरण और खराबियों की वज़ह से प्रधानतया लक्षित निकर्षण दिनों की संख्या में अवनति होने के कारण निम्नतर क्षमता का उपयोग हुआ ।

7. दिनांक 31 मार्च 2007 तक, इस समवाय ने विशेष प्रयोजनकारी अभियान सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए ईक़्विटी के प्रति रु.14.50 करोड़ का अंशदान दिया है । इस समवाय ने लगभग 13 कि.मी. के सेतुसमुद्रम पोत जलमार्ग के ई3-ई4 क्षेत्र में करीब-करीब 13 मिलियन घ.मी.का निकर्षण करके बंगाल की खाड़ी के बाजूवाले पॉक जलीय क्षेत्र में -12 मी की गहराई साध्य करने के लिए निकर्षण कार्य का शुभारंभ किया है और यह कार्य इस समवाय को प्रदान किया गया है ।

8. वित्तीय कार्य-निष्पादन

(रुपये लाखों में)

	2005-06	2006-07
प्रचालनों से आय	50690	57289
अन्य आय	3599	4920
कुल पण्यावर्त	54289	62209
ब्याज, मूल्यह्रास और कर से पहले लाभ	21183	24507
ब्याज	291	210
मूल्यह्रास	3709	3658
कर के पहले लाभ	17183	20639
चालू कर के लिए प्रावधान	1750	1650
अनुषंगी हितलाभ कर के लिए प्रावधान	74	111
संपत्ति कर के लिए प्रावधान	3	5
आस्थगित कर प्रावधान, जो फिर से खाते में डाला गया	2290	0
कर के बाद लाभ	17646	18873

क्षमता		
उपलब्ध क्षमता (लाख घ.मी.)	798.50	798.50
उपयुक्त क्षमता (लाख घ.मी.)	727.49	763.80
क्षमता का उपयोग (%)	91.10	95.65
प्रस्तावित / घोषित लाभांश %	150	150
अंतरिम लाभांश सहित	60	60
रु.लाख	4200	4200
आमदनी प्रति शेयर (रु.)	63.02	67.40
बही मूल्य प्रति शेयर	354.65	404.68

9. अवसर और आशंकाएँ :

इस समवाय के लिए निम्नोक्त अवसर दृष्गित हो रहे हैं :

- जी.डी.पी. 8% प्रतिवर्ष की औसत से बढने के लिए लक्षित है जिसके परिणामस्वरूप अन्य अंशों के साथ-साथ 10वीं योजना के दौरान पत्तन यातायात और पत्तन क्षमता में वृद्धि होने की प्रत्याशा है ।
- भारत के विविध पत्तनों में उभर रहीं निर्माणगत निकर्षण परियोजनाएँ ।
- पिपावव, काकिनाड़ा, मुन्द्रा, गंगवरम और हज़ीरा में उभर रहे ग़ैर-सरकारी पत्तन ।
- सेतुसमुद्रम नौ-जलमार्ग परियोजना ।
- नये निर्माणगत निकर्षण कार्यों के फलस्वरूप, निर्वाहगत निकर्षण की अपेक्षाएँ बढीं ।
- बढते जा रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कार्य - विदेशों में अवसर ।

इस समवाय को निम्नोक्त आशंकाओं का सामना करना पड़ता है :

- बढती जा रही विदेशी प्रतिस्पर्धा ।
- भारतीय निकर्षण समवायों से बढती जा रही प्रतिस्पर्धा ।
- निकर्षकों के वयस्क हो जाने की वज़ह से उनके लिए अकसर और महँगी मरम्मतें कराना पड़ा ।
- अनुभवी और प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्ति / जहाज़ी कर्मचारियों के अनुपलब्ध होने का प्रधान कारण है - सार्वजनिक क्षेत्र में अझिक आकर्षणीय वेतन नहीं मिलते ।

10. भारतीय निकर्षण विपण का परिदृश्य :

11वीं योजना के दौरान जबकि एक ओर प्रधान पत्तनों की निरंतर निर्वाहगत निकर्षण की अपेक्षाएँ जारी रहने की उम्मीद है, पत्तन विकास और संबंधित निर्माणगत निकर्षण कार्यकलाप में ग़ैर-सरकारी क्षेत्रीय सहभागिता बढते जाने का अनुमान है । ऐसे में भारतीय विपण में त्वरित रीति से गतिशील परिवर्तन हो रहे हैं । जो प्रधान परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें निकर्षण समवायों के ग्राहक समुदाय की रूपरेखा भी सरकारी क्षेत्र से ग़ैर-सरकारी क्षेत्रीय विकस - संगठनों के पक्ष में बदल रही है । दैनिक दर पद्धति के बदले परिमाणात्मक या निष्पादन आधारित पद्धति अपनाना, भारतीय पत्तन क्षमता में विस्तार और भारतीय निकर्षण विपण में अंतर्राष्ट्रीय समवायों की सहभागिता बढना सम्मिलित हैं । अन्य विकासगत कार्यकलापों में निम्नोक्त भी शामिल हैं :

- भारतीय पत्तनों में गहरे ड्राफ़्ट की अपेक्षाएँ ।
- पर्यटन विकास और तट-पोषण की बढती जा रही आवश्यकता ।
- निम्न स्तरीय क्षेत्रों में भूमि-उद्धार ।
- सेतुसमुद्रम नौ-जलमार्ग परियोजना ।

डी.सी.आई. के ग्राहकों में पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (पो.प.स.प.रा.मं.) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन महा पत्तन, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणस्थ छोटे-छोटे पत्तन, ग़ैर-सरकारी पत्तन, भारतीय नौसेना और शिपयार्ड सम्मिलित हैं । भारतीय निकर्षण विपण प्रधानतया निर्वाहगत निकर्षण-प्रधान विपण है ।

जोख़िम और चिन्ता :

11. निकर्षण पर सरकारी नीति :

पो.प.स.प.एवं रा.मा.मं. ने अपने पत्र सं.पी.ओ.-28015/8/2000-डी.आर.जी., दिनांकित 12.02.2007 द्वारा प्रधान पत्तनों द्वारा दिनांक 01.04.2007 से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए पालन किए जाने हेतु निकर्षण नीति घोषित की । इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ :-

- महा पत्तन निकर्षण कार्यों के लिए खुली प्रतियोगी बोलियों का आह्वान करेंगे और डी.सी.आई. सहित भारतीय ध्वजधारित निकर्षकोंवाले भारतीय समवायों के लिए यदि उनकी दर निम्नतम वैध प्रस्ताव 10% के अंदर हो तो प्रथम तिरस्कार का अधिकार होगा । यह निर्वाहगत और निर्माणगत दोनों निकर्षण कार्यों के लिए लागू होगा, एक कोलकाता पत्तन के निर्वाहगत निकर्षण की अपेक्षा को छोड़कर, जिसके लिए अलग से अनुदेश लागू होंगे ।
- यदि भारतीय ध्वज के निकर्षकवाली एक से अधिक समवाय निविदे में भाग लेंगे तो, तिरस्कार अधिकार उस भारतीय समवाय को मिलेगा जिसने निम्नतर दर उद्धृत की हो और वह निम्नतम वैध प्रस्ताव के 10% के अंदर हो ।
- पोत परिवहन विभाग द्वारा भी किसी महा पत्तन में निकर्षण का कोई भी ठेका, लोकहित में, नामांकन के तौर पर डी.सी.आई. को सुपुर्द करने का अधिकार भारत सरकार के लिए आरक्षित है ।

जबकि नये निकर्षकों के अर्जन के लिए क्रय की कार्रवाई में उन निकर्षकों केनिर्माण में अधिक लागत हो सकती है, उभरते रहे प्रतियोगी विपण परिदृश्य में पूँजीगत व्यय पर कम दर में प्रतिफल पाने का संकेत है, जिससे कि क्षमता को बढाने में तथा इस समवाय की वर्तमान क्षमता और देश में बढती जा रही मांग के बीच की खाई को पूरा करने में अवरोध होंगे ।

12. **इस समवाय के पहल कार्य / भावी योजनाएँ :**

निकर्षण उद्योग में हो रहे विविध विकासशील कार्यकलापों को दृष्टि में रखते हुए, आपके समवाय ने कई क्षेत्रों में कार्रवाई का सूत्रपात किया, जिसमें निम्नोक्त भी शामिल हैं :

- भारत में निर्वाहगत निकर्षण के कार्यभाग को मज़बूत बनाना ।
- निर्माणगत निकर्षण में अधिकतर भाग लेना - आवश्यक निपुणताएँ समुपार्जित करना, समवाय के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, निकर्षकों को समुपार्जित करना / भाड़े पर देना, समुचित संयुक्त अभियान / विशेष प्रयोजनकारी अभियानों को प्रारंभ करना ।
- ईंधन दक्षता अभिकल्पना और अद्यतन प्रौद्योगिकीवाले ऐसे निकर्षकों का अर्जन जो विशिष्ट और स्टेट-आफ़-दी-आर्ट प्रौद्योगिकी से विनिर्मित हैं, अर्थात :
  5,000 घ.मी. क्षमता का एक अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक ।
  2,000 घनपदार्थ प्रतिघंटा का एक डम कर्तक चूषण निकर्षक ।
  मुम्बई के माझगाँव डॉक लिमिटेड को 2000 घ.मी. घनपदार्थ प्रति घंटे की क्षमता एक कर्तक चूषण निकर्षक की खरीद के लिए अक्तूबर, 2005 में क्रय आदेश रखा है और दिसम्बर, 2007 में इसका वितरण प्रत्याशित है । एक 5000 घ.मी. हॉपर क्षमता के अनुगामी चूषण निकर्षक और दो सर्वेक्षण लांचों की खरीद की कार्रवाई हो रही है । बेर्थों और घाटों के सामने और समेकित तलों के लिए निकर्षण कार्य संभालने के लिए, जो कार्य अनुगामी चूषण निकर्षक या कर्तक चूषण निकर्षक संभाल नहीं सकते, एक बैकहो निकर्षक और दो स्वचालित हॉपर बजरों को खरीदने की कार्रवाई भी हो रही है ।
- अधिक से अधिक क्षमता का उपयोग करना - लगातार परियोजना अनुवीक्षण और समीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढाना, समुचित निर्वाहगत व्यूहनीति द्वारा निकर्षक और उपस्कर के बेकाम समय को घटाना ।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को बढाने के लिए व्यूहनीतिगत सत्संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त अभियानों का विकास करना ।
- मशहूर प्रबंधन परामर्शदाताओं की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय निकर्षण समवायों के विरुद्ध पहुँच नीति को तल चिह्नांकित करना और व्यूहनीतिगत पहलों की समीक्षा करना ।
- लागतों को घटाना -
  प्रचालनिक लागतें - जहाज़ी प्रचालनों में ईंधन दक्षता पर ज़ोर देना और अतिरिक्त पुर्जों की खरीद संबंधी प्रणालियों को सरल-सुगम बनाना ।
  वित्तपोषणगत लागतें - विदेशी मुद्रागत उधारों के विषय में पूर्ण मुद्रागत सहायताओं का सहारा लेना जिससे विनियमयगत और ब्याज दर के उतार-चढावों से बच सकें ।
- मरम्मतों का बारीकी से अनुवीक्षण करना ।

13. अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षकों को भाड़े पर लेना : :

डी.सी.आई. की क्षमता को बढाने के लिए निकर्षण विपण की संभाव्य वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए, यह समवाय सेतुसमुद्रम पोत जलमार्ग परियोजना में काम करने के लिए क्षमता को बढाने हेतु निकर्षकों को भाड़े पर लेता रहा है ।

14. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता :

इस समवाय के लिए इसके व्यापार के परिमाण एवं स्वरूप के अनुरूप, उचित स्तरों पर प्रत्यायोजन की समुचित प्रणाली और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है । प्रधान कार्यालय और परियोजनालयों में विविध महत्त्वपूर्ण प्रचालनिक एवं वित्तीय मामलों की विस्तृत जाँच करने के लिए इस समवाय का एक पर्याप्त और स्वतंत्र आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग है । आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा की जाती है । सतर्कता विभाग सतर्कता और अनुशासनिक मामले संभालता है और निवारणात्मक सतर्कता पर ज़ोर देता है । नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा स्वाम्य लेखा-परीक्षा आयोजित होती है । इस समवाय ने चार स्वतंत्र कार्यपालकेतर निदेशकों के साथ एक लेखा-परीक्षा समिति का गठन किया है । महत्त्वपूर्ण लेखा-परीक्षागत निरीक्षणों और उनपर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में लेखा-परीक्षा समिति को प्रतिवेदित किया जाता है । लेखा-परीक्षा समिति की कार्यवाही को मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है ।

15. औद्योगिक संबंध :

प्रतिवेदनाधीन अवधि-भर इस निगम में मालिक-मज़दूर संबंध सौहार्दपूर्ण जारी रहे ।

16.सावधानीयुत कथन :

इस 'प्रबंधीय विचार-विमर्श एवं विश्लेषण' में इस समवाय के उद्देश्यों, उम्मीदों, धारणाओं या भविष्य कथनों का वर्णन करते हुए जो कथन प्रस्तुत हैं, वे प्रयोज्य कानूनों और विनियमों के अर्थ में ही किए गए भविष्यवाणीगत कथन माने जाएँ । वास्तव में जो परिणाम होते हैं, वे वस्तुगत रूप से अभिव्यक्त या अंतर्निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं । जो महत्त्वपूर्ण अंश इस समवाय के प्रचालनों में भिन्नता ला सकते हैं, उनमें मांग आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाली आर्थिक परिस्थितियाँ, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मूल्य संबंधी परिस्थितियाँ, सरकारी कार्यनीतियाँ और विनियम, संविधियाँ और अन्य प्रासंगिक अंश महत्त्वपूर्ण हैं ।

*****

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सदस्य,

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

1. हमने इससे अनुलग्न ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2007 तक के तुलन-पत्र, और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के इस समवाय के लाभ-हानि लेखे और उसी तिथि को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह विवरणी का परीक्षण किया है । ये वित्तीय विवरणियाँ इस समवाय के प्रबंधन के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आती हैं, हमारा उत्तरदायित्व तो अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अभिमत अभिव्यक्त करना है ।

2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा-परीक्षागत मानकों के अनुसार, लेखा-परीक्षा आयोजित की । इन मानकों से यह अपेक्षित है कि यदि ये वित्तीय विवरणियाँ वस्तुगत अपकथन से मुक्त हैं कि नहीं - इसका समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा-परीक्षा की योजना बनाकर निष्पादित करें । लेखा-परीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणियों में दी गईं राशियों और प्रकटनों का समर्थन करनेवाली प्रामाणिकता की परीक्षा करना निहित है । लेखा-परीक्षा में प्रबंधन समिति द्वारा प्रयुक्त लेखाकरणगत सिद्धांतों और उनके द्वारा किए जानेवाले सार्थक प्राक्कलनों का निर्धारण और साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरणगत प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी अपनी राय के लिए समुचित आधार का प्रावधान है ।

3. समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) की शर्तों के अधीन भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए समवाय (लेख-परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित उक्त आदेश के परिच्छेद 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों के एक विवरणी हम इसके साथ अनुलग्नक में संलग्न कर रहे हैं ।

4. उपर्युक्त परिच्छेद 3 में संदर्भित अनुलग्नक में की गई अपनी टिप्पणियों के आगे, हमारा प्रतिवेदन है कि :

(1) अपने संपूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा-परीक्षण के प्रयोजनार्थ, आवश्यक समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण हमने अभिप्राप्त किए हैं ;

(2) हमारी राय में, जहाँ तक अपने द्वारा हुए उन बहियों के परीक्षण द्वारा लगता है, विधिक रूप से यथापेक्षित उचित लेखा-बहियाँ इस समवाय द्वारा रखी गई हैं ;

(3) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरणी लेखा-बहियों के अनुरूप हैं ।

(4) हमारी राय में, इस प्रतिवेदन से संबंधित उक्त तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद-प्रवाह विवरणी, समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में यथा-संदर्भित, लेखाकरण मानकों के अनुपालन में हैं ।

(5) विधि, न्याय और कम्पनी व्यवहार मंत्रालय, कम्पनी व्यवहार विभाग, द्वारा जारी किए गए सं.2/5/2001-सी.एल., सामान्य परिपत्र सं.8/2002, दिनांकित 22.03.2002 के तहत समवाय अधिनियम की धारा 274(1)(छ) का प्रावधान इस समवाय के लिए लागू नहीं होता ।

(6) हमारी राय में और अपनी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखाकरणगत कार्यनीतियों और लेखों पर टिप्पणियों सहित उक्त लेखे, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरणगत सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए, समवाय अधिनियम 1956 से यथापेक्षित पद्धति में अपेक्षित सूचना देते हैं और वे निम्नोक्त के विषय में सही एवं ऋजु अवलेकन दिलाते हैं :

(क) 31 मार्च, 2007 तक के समवायीन कार्यकलापों की स्थिति संबंधी तुलन-पत्र के विषय में ;

(ख) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष संबंधी इस समवाय द्वारा अर्जित लाभ के लाभ-हानि लेखे के विषय में; और

(ग) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए प्रवाहित नकद संबंधी नकद प्रवाह विवरणी के विषय में ।

कृते श्रीराममूर्ति एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

स्थान : विशाखपट्नम
दिनांक : 29 जून, 2007

(डी.प्रसन्न कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं.023999

लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

(हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन के परिच्छेद (3) में संदर्भित)

(1) (क) इस समवाय ने स्थिर परिसंपत्तियों के परिमाणात्मक विवरणों और स्थिति सहित समस्त विवरण दर्शाते हुए, उचित अभिलेख बनाए रखे हैं ।

(ख) इस वर्षावधि के दौरान प्रबंधन समिति द्वारा सभी स्थिर परिसंपत्तियों की वस्तुत: पड़ताल की गई है । जैसे कि हमें सूचना दी गई, ऐसी जाँच पर कोई गंभीर रूप से विसंगतियाँ नहीं पाई गई हैं ।

(ग) इस समवाय ने इस वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के व्यापक भाग का निपटारा नहीं किया है और इस समवाय की संस्थागत स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(2) (क) इस वर्ष के दौरान प्रबंधन समिति द्वारा समुचित अंतरालों में माल-सूची की वस्तुत: पड़ताल आयोजित की गई है ।

(ख) माल-सूची की वस्तुत: पड़ताल हेतु अनुसरित पद्धतियाँ इस समवाय के परिमाण और व्यापार स्वरूप के अनुरूप समुचित और पर्याप्त हैं ।

(ग) इस समवाय ने माल-सूची के सही अभिलेखों का रखरखाव किया है । हमें यथा-सूचित वस्तुगत पड़ताल करने पर बही अभिलेखों की तुलना में माल-सूची से संबंधित कोई भी भारी विसंगतियाँ पाई नहीं गई हैं ।

(3) (क) इस समवाय ने समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत निर्वाहित पंजी में आवरित समवायों, फ़र्मों या अन्य पार्टियों, को प्रतिभूत या अप्रतिभूत उधार नहीं दिए हैं ।

उपर्युक्त की दृष्टि से खण्ड वाक्य 4 (iii)(ख), (ग) और (घ) लागू नहीं होते ।

(ङ) इस समवाय ने समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत निर्वाहित पंजी में आवरित समवायों, फ़र्मों या अन्य पार्टियों से प्रतिभूत या अप्रतिभूत उधार नहीं लिए हैं ।

उपर्युक्त की दृष्टि से खण्ड वाक्य 4 (iii) (च) और (छ) लागू नहीं होते ।

(4) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस समवाय के परिमाण और व्यापार स्वरूप के अनुरूप, माल-सूची और स्थिर परिसंपत्तियों के क्रय और माल/सेवाओं की बिक्री की पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण क्रिया विधियाँ हैं । हमारे द्वारा लेखा-परीक्षण के दौरान, हमने आंतरिक नियंत्रण में ऐसी कोई बड़ी कमियाँ नहीं पाई है ।

(5) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार ऐसे कोई लेन-देन व्यवहार नहीं हुए जिनको समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसरण में निर्वाहित पंजी में प्रविष्ट करने की आवश्यकता है ।

उपर्युक्त की दृष्टि से खण्ड वाक्य 4 (v) (ख) लागू नहीं होता ।

(6) इस समवाय ने इस वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कीं ।

(7) हमारी राय में इस समवाय की एक आंतरिक लेखा-परीक्षण प्रणाली है जो इसके परिमाण और व्यापार स्वरूप के अनुरूप है ।

(8) केन्द्रीय सरकार ने इस समवाय के व्यापार स्वरूप के विषय में, समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का निर्वाह करने का विषय निर्धारित नहीं किया है ।

(9) (क) यह समवाय भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा-शुल्क, उपकर सहित अविवादात्मक सांविधिक देय राशियाँ और अन्य कोई भी सांविधिक देय राशियाँ उपयुक्त प्राधिकरणों में जमा करने में साधारणतया नियमित रहा है । हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2007 तक ऊपर उल्लेख की गई देय राशियों के विषय में ऐसी कोई भी अविवादात्मक राशियाँ नहीं रही हैं, जो उनकी देय तिथि से छ: महीनों अधिक अवधि के लिए बकाई पड़ी रही हों ।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, विवाद के कारण जमा न की गईं सांविधिक देय राशियाँ और अपीलीय प्राधिकरणों के यहाँ अनिर्णीत मामले निम्नोक्तानुसार हैं :

क्र.सं. सांविधिक प्राधिकरण	देय राशियों का स्वरूप	जिस मंच पर विवाद अनिर्णीत रहा है	राशि (रुपये लाखों में)
1 उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947	2002-03 वर्ष के लिए बिक्री कर	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक, उड़ीसा	181.67
2 उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम,1947	2003-04 वर्ष के लिए बिक्री कर	बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक, उड़ीसा	205.89
3. कर्णाटक बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	कर्णाटक अपील बिक्री कर अधिकरण	74.65
4. के.टी.ई.जी. (प्रवेश कर)	प्रवेश कर	संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त (अपील)	212.00
5. आय कर अधिनियम, 1961	आय कर निर्धारण वर्ष		
	1991-92	आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय	0.16
-यथोपरि-	1993-94	-यथोपरि-	13.77
-यथोपरि-	1997-98	आय कर अपील अधिकरण, विशाखपट्नम	6.28
-यथोपरि-	2000-01	-यथोपरि-	66.90
-यथोपरि-	2002-03	-यथोपरि-	2596.55
-यथोपरि-	2003-04	-यथोपरि-	5073.67
-यथोपरि-	2004-05	-यथोपरि-	6908.48

(10) हमारे लेखा-परीक्षण से आवरित इस वित्तीय वर्ष के दौरान या इसके तुरंत पूर्व के वित्तीय वर्ष में इस समवाय की कोई संचित हानियाँ नहीं हैं और इसकी कोई नकद हानियाँ नहीं हुई हैं ।

(11) यह समवाय वित्तीय संस्थानों या बैंकों को देय राशियों को वापस चुकाने में बकायादार नहीं रहा है । चूँकि कोई डिबेंचर नहीं हैं, वापस चुकाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(12) इस समवाय ने शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हुए प्रतिभूति के आधार पर उधार और अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं ।

(13) यह समवाय कोई चिट फ़ण्ड या निधि / परस्पर हितलाभ निधि / संस्था नहीं है । अत: समवाय (लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 का खण्ड वाक्य 4 (xiii) इस समवाय के लिए लागू नहीं है ।

(14) यह समवाय कोई शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशनों से संबंधित व्यवहार या व्यापार नहीं चलाता रहा है । अत: समवाय (लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 का खण्ड वाक्य 4(xiv) इस समवाय के लिए लागू नहीं होता ।

(15) इस समवाय ने बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से अन्यों द्वारा लिए गए उधारों के लिए कोई प्रतिभूति दे नहीं रखी है । अत: समवाय (लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 का खण्ड वाक्य 4(xv) इस समवाय के लिए लागू नहीं होता ।

(16) इस समवाय ने इस वर्ष के दौरान कोई सावधिक उधार नहीं लिए हैं और अत: समवाय (लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 का खण्ड वाक्य 4(xvi) इस समवाय के लिए लागू नहीं होता ।

(17) इस समवाय ने इस वर्ष के दौरान अल्पावधिक तौर पर या दीर्घावधिक तौर पर कोई निधियाँ नहीं बनाईं और अत: समवाय (लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 का खण्ड वाक्य 4(xvii) इस समवाय के लिए लागू नहीं होता ।

(18) इस समवाय ने समवाय अधिनियम , 1956 की धारा 301 के अंतर्गत निर्वाहित पंजी में आवरित दलों और समवायों के लिए शेयरों का कोई अधिमान्य रूपी आबंटन नहीं किया है ।

(19) इस समवाय ने इस वर्ष के दौरान डिबेंचर जारी नहीं किए हैं और अत: समवाय (लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 का खण्ड वाक्य 4 (xix) इस समवाय के लिए लागू नहीं होता ।

(20) इस समवाय ने इस वर्ष के दौरान सार्वजनिक शेयर जारी करने के द्वारा धन की वृद्धि नहीं की है और अत: समवाय (लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 का खण्ड वाक्य 4 (xx) इस समवाय के लिए लागू नहीं होता ।

(21) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस वर्ष के दौरान इस समवाय के प्रति या उसके द्वारा ऐसा कोई कपट व्यवहार नहीं पाया गया या प्रतिवेदित हुआ जिससे कि वित्तीय विवरणियाँ वस्तुत: अपकथित हो सकते हैं ।

कृते श्रीराममूर्ति एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

स्थान : विशाखपट्नम
दिनांक :29 जून, 2007

(डी.प्रसन्न कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं.023999

दिनांक 31.03.2007 तक का तुलन पत्र

(रुपये लाखों में)

	अनुसूची संख्या		जैसा 31-3-2007 को था		जैसा 31-3-2006 को था
अ. निधि स्रोत					
1. शेयरधारियों की निधियाँ					
शेयर पूँजी	I	2800.00		2800.00	
आरक्षितियाँ और अधिशेष	II	110510.55	113310.55	96501.49	99301.49
2. उधार निधियाँ	III				
अप्रतिभूत उधार			3015.60		4638.53
योग			116326.15		103940.02
आ. निधियों का अनुप्रयोग					
1. स्थिर परिसंपत्तियाँ	IV				
सकल खण्ड		84901.39		84874.08	
घटाव : मूल्यह्रास		55175.88		51527.43	
घटाव : बिगड़ने से हुई हानि		30.17		1.50	
निवल खण्ड		29695.34		33345.15	
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य		14321.51	44016.85	2441.47	35786.62
2. निवेशन:	V		1450.01		550.01
3. चालू परिसंपत्तियाँ, उधार और अग्रिम	VI				
माल-सूचियाँ		2258.98		1047.57	
विविध देनदार		22972.14		19620.68	
नकद और अधिकोष शेष		39855.44		47214.28	
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		12737.44		8298.37	
उधार और अग्रिम		11832.47		8822.82	
		89656.47		85003.72	
घटाव : चालू दायित्व और प्रावधान	VII				
चालू दायित्व		14999.23		12457.10	
प्रावधान		3797.95		4283.43	
		18797.18		17400.33	
निवल चालू परिसंपत्तियाँ			70859.29		67603.39
योग			116326.15		103940.02
वित्तीय टिप्पणियाँ	XV				
लेखागत कार्यनीतियाँ	XVI				

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ इन लेखों के अभिन्न अंग मानते हैं ।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर स

हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार
कृते श्रीराममूर्ति एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

(ए.के.धर)
निदेशक (वित्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(के.किरीटि)
महा प्रबंधक (वित्त)

(डी.प्रसन्न कुमार)
भागीदार

(कमडोर जी.वी.रत्नम)
निदेशक (प्रचालन एवं प्राविधिक)

(के.अश्विनी श्रीकान्त)
समवाय सचिव

स्थान : विशाखपट्नम
दिनांक : 29.06.2007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.06.2007

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(रुपये लाखों में)

	अनुसूची संख्या		31-3-2007 को समाप्त वर्ष		31-3-2006 को समाप्त वर्ष
अ. निम्नोक्त से आय :					
प्रचालन	VIII		**57289.09**		50689.89
अन्य	IX		**4919.86**		3598.73
			62208.95		54288.62
आ. निम्नोक्त पर व्यय :					
प्रचालन	X		**34800.80**		28807.13
प्रशासन	XI		**2909.64**		2646.63
ब्याज			**209.71**		290.89
मूल्यह्रास			**3658.31**		3709.15
प्रावधान	XII		**402.83**		822.22
			41981.29		36276.02
पूर्वावधि समायोजनों से पहले लाभ :			**20227.66**		18012.60
पूर्वावधि समायोजन :					
जोड़ : जमे	XIII	**0.00**		418.71	
घटाव : नामे	XIII	**1.24**	**(-) 1.24**	1432.21	(-) 1013.50
			20226.42		16999.10
जोड़ : आगे अनपेक्षित प्रावधान जो फिर से खाते में डाल दिए गए	XIV		**412.13**		184.25
कर-पूर्व लाभ			**20638.55**		17183.35
घटाव : आय कर के लिए प्रावधान					
चालू		**1650.00**		7350.00	
अनुषंगी हितलाभ		**110.78**		73.57	
सम्पत्ति कर के लिए प्रावधान		**4.82**	**1765.60**	3.22	1826.79
जोड़:आस्थगित कर प्रावधान जो फिर से खाते में डाले गए			**0.00**		2289.60
कर के बाद लाभ			**18872.95**		17646.16
जोड़ : धारा 33 क.ग. के अंतर्गत आरक्षिति से अंतरित - विनियोग खाता			**0.00**		1100.00
घटाव : आय कर अधिनियम की धारा 115 फ.न. के अंतर्गत टन्नेज कर आरक्षिति को अंतरित			**4200.00**		4000.00
जोड़ : पिछले वर्ष से अग्रेनीत शेष			**15335.66**		7148.55
घटाव : अदा किया गया अंतरिम लाभांश		**1680.00**		1680.00	
: प्रस्तावित लाभांश		**2520.00**		2520.00	
: निम्नोक्त पर लाभांश कर					
: अदा किया गया अंतरिम लाभांश		**235.62**		235.62	
: प्रस्तावित लाभांश		**428.27**	**4863.89**	353.43	4789.05
घटाव : साधारण आरक्षिति को अंतरित			**1890.00**		1770.00
तुलन-पत्र को अग्रेनीत लाभ-शेष			**23254.72**		15335.66
आमदनी प्रति शेयर : मूल/ह्रासित(रुपयों में) (अनुसूची-15 की टिप्पणी 9(घ)			**67.40**		63.02
वित्तीय टिप्पणिया	XV				
लेखागत कार्यनीतियाँ	XVI				

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ इन लेखों के अभिन्न अंग मानते हैं ।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर स

हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार
कृते श्रीराममूर्ति एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

(ए.के.धर)
निदेशक (वित्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(के.किरीटि)
महा प्रबंधक (वित्त)

(डी.प्रसन्न कुमार)
भागीदार

(कमडोर जी.वी.रत्नम)
निदेशक (प्रचालन एवं प्राविधिक)

(के.अश्विनी श्रीकान्त)
समवाय सचिव

स्थान : विशाखपट्नम
दिनांक: 29.06.2007

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28.06.2007

अनुसूची - 1 शेयर पूँजी

(रुपये लाखों में)

	जैसा 31-3-2007 को था	जैसा 31-3-2006 को था
प्राधिकृत :		
प्रत्येक रु.10/- के 3,00,00,000 ईक्विटी शेयर	**3000.00**	3000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त :		
नकद के लिए - प्रत्येक के रु.10/- के 1400 पूर्णतया प्रदत्त	**0.14**	0.14
नकद से अन्यथा विचार किए जाने के लिए प्रत्येक रु.10/- के पूर्णतया प्रदत्त के रूप म 2,79,98,600 ईक्विटी शेयर	**2799.86**	2799.86
	2800.00	2800.00

अनुसूची - 2 आरक्षितियाँ और अधिशेष

(रुपये लाखों में)

		जैसा 31-3-2007 को था		जैसा 31-3-2006 को था
पूँजीगत आरक्षिति (✻) :				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		**451.83**		451.83
साधारण आरक्षिति :				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**37814.00**		36044.00	
जोड़ : वर्ष के दौरान अंतरण	**1890.00**	**39704.00**	1770.00	37814.00
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 33 क.ग. के अंतर्गत आरक्षिति :				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		**33300.00**		33300.00
विनियोग खाता 33 क.ग. के अंतर्गत आरक्षिति :				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**5600.00**		6700.00	
घटाव : लाभ-हानि लेखे को अंतरित	**0.00**	**5600.00**	1100.00	5600.00
आय कर अधिनियम की धारा 115 फ.न. के अंतर्गत टन्नेज कर आरक्षिति :				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**4000.00**		0.00	
जोड़ : वर्ष के दौरान अंतरण	**4200.00**	**8200.00**	4000.00	4000.00
लाभ-हानि लेखा		**23254.72**		15335.66
		110510.55		96501.49

(✻) यह बेची गईं परिसंपत्तियों की बिक्री आय / उनकी मूल लागत से अधिक वसूल हुए दावों का प्रतिनिधित्व करती है ।

अनुसूची - 3 उधार निधियाँ

(रुपये लाखों में)

	जैसा 31-3-2007 को था	जैसा 31-3-2006 को था
अप्रतिभूत उधार :		
विदेशी बैंकों से		
(एक वर्ष के अंदर प्रतिदेय किस्तें - रु.1362.50 लाख पिछले वर्ष - रु.1622.92 लाख)	**3015.60**	4638.53
	3015.60	**4638.53**

अनुसूची-4 **स्थिर परिसंपत्तियाँ** (रुपये लाखों में)

विवरण	सकल खण्ड				मूल्यह्रास				निवल खण्ड	
	जैसा 31-3-06 को था	वर्ष के दौरान जोड़	कटौतियाँ/ समायोजन	जैसा 31-3-07 को था	31-3-06 तक	इस वर्ष के दौरान	कटौतियाँ/ समायोजन	31-03-07 तक	जैसा 31-3-07 को था	जैसा 31-3-06 को था
1 भूमि										
उन्मुक्त	35.98	0.00	0.00	**35.98**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**35.98**	35.98
2 भवन	346.05	0.00	0.00	**346.05**	231.95	12.29	0.00	**244.24**	**101.81**	114.10
3 निकर्षक	78722.13	0.00	0.00	**78722.13**	47611.85	3402.32	0.00	**51014.17**	**27707.96**	31110.28
4 आनुषंगिक नौयान	1900.22	0.00	0.00	**1900.22**	403.08	115.91	0.00	**518.99**	**1381.23**	1497.14
5 पाइपलाइन, कन्दुक एवं खल्लिका संधियाँ इत्यादि	2632.01	0.00	0.00	**2632.01**	2508.35	62.27	0.00	**2570.62**	**61.39**	123.66
6 अन्य प्रचालनिक परिसंपत्तियाँ	331.84	0.00	0.00	**331.84**	186.78	8.22	0.00	**195.00**	**136.84**	145.06
7 फ़र्नीचर, फ़िटिंग, उपस्कर इत्यादि	355.69	17.34	14.01	**359.02**	143.36	21.71	11.36	**153.71**	**205.31**	212.33
8 अभिकलित्र	480.36	23.98	0.00	**504.34**	386.64	✲64.28	0.00	**450.92**	**53.42**	93.72
9 मोटर वाहन	15.59	0.00	0.00	**15.59**	2.71	1.48	0.00	**4.19**	**11.40**	12.88
10 तात्कालिक संरचनाएँ / फ़िक्स्चर /निर्माण	54.21	0.00	0.00	**54.21**	54.21	0.00	0.00	**54.21**	**0.00**	0.00
योग	84874.08	41.32	14.01	**84901.39**	51528.93	3688.48	11.36	**55206.05**	**29695.34**	33345.15
अग्रिम सहित प्रगामी निर्माणगत कार्य	2441.47	11880.04	0.00	**14321.51**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**14321.51**	2441.47
योग	87315.55	11921.36	14.01	**99222.90**	51528.93	3688.48	11.36	**55206.05**	**44016.85**	35786.62
पिछले वर्ष का योग	84712.82	3997.92	1395.19	87315.55	47833.85	3710.65	15.57	51528.93	35786.62	36878.97

(✲)इसमें बिगड़ने से हुई हानि के प्रति व्यवस्था की गई रु.3.17 लाख की राशि सम्मिलित है ।

अनुसूची-4 की टिप्पणी :

(क) भवनों के अंतर्गत अभी इस समवाय के नाम पर पंजीकृत होने के लिए बाकी रह गए मुम्बई के चार आवासी फ़्लैटों की लागत संबंधी रु.8.20 लाख (पिछले वर्ष रु.8.20 लाख) सम्मिलित है ।

(ख) कलकत्ता के सीमा-शुल्क समाहर्ता ने ऐक्वारिअस निकर्षक के पटल पर रु.335.33 लाख राशि के अतिरिक्त पुर्जों पर कम लगाए गए सीमा-शुल्क के लिए माँग जारी की । इस राशि को 1994-95 वर्ष के दौरान ही जारी हुई 'कारण बताओ सूचना' के आधार पर पूँजीकृत किया जा चुका । इस दायित्व के विषय में इस समवाय ने विवाद चलाया । फिर भी, रु.150 लाख की राशि, सापत्ति, सीगॉट, कलकत्ता के निर्देशन के अनुसरण में अदा की गई ।

(ग) आनुषंगी नौयान टग-6 (लेखा-बहियों में 2 के शेष मूल्य के साथ) सेतुसमुद्रम जलमार्ग के उत्तरी क्षेत्र में लगभग 2 नॉटिकल मील की दूरी पर दिनांक 06.05.2006 को पलटकर डूब गया । दावे के स्वरूप और उस संबंधी अनिश्चितता को अंतिम रूप दिए जाने तक इस वर्ष की लेखा बहियों में इस आय को पहचाना नहीं गया।

(घ) भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान से घोषित लेखाकरण मानक 28 के अनुसार कम्प्यूटरों के विषय में बिगड़ने से हुई हानि को पहचाना गया है । वसूलीय राशि को उसकी अनुमानित वसूलीय राशि से अधिक पड़ी परिसंपत्ति के मूल्य तक निर्धारित किया गया है ।

(ङ) स्थिर परिसंपत्तियों मे सक्रिय उपयोग से हटाई गईं परिसंपत्तियाँ भी सम्मिलित हैं (सकल खण्ड रु.220.46 लाख, निवल खण्ड रु.41.63 लाख, पिछले वर्ष रु.शून्य) ।

अनुसूची-5 **निवेशन** **(रुपये लाखों में)**

	जैसा 31-3-2007 को था	जैसा 31-3-2006 को था
लागत पर - व्यापारेतर (अनुद्धृत)		
(क) मित्तल चैम्बर्स प्रमीसेस को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, बम्बई, में पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक रु.50/- के 5 शेयर	**0.01**	0.01
(ख) सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड		
i) प्रत्येक रु.10/- के पूर्णतया प्रदत्त रु.100 लाख (पिछले वर्ष रु.10 लाख) के ईक्विटी शेयर	**1000.00**	100.00
ii) आबंटन होने तक ईक्विटी योगदान	**450.00**	450.00
	1450.01	550.01

अनुसूची-6 **चालू परिसंपत्तियाँ, उधार और अग्रिम** (रुपये लाखों में)

	जैसा 31-3-2007 को था		जैसा 31-3-2006 को था	
अ. चालू परिसंपत्तियाँ :				
माल-सूचियाँ :				
अतिरिक्त पुर्जों और भण्डार सामग्री का स्टॉक (टिप्पणी 1)	**2501.99**		1260.23	
(प्रबंध समिति से लागत पर मूल्य निर्धारित और यथा-प्रमाणित)				
घटाव : बेकार अतिरिक्त पुर्जों और भण्डार के लिए व्यवस्था	**243.01**	**2258.98**	212.66	1047.57
विविध देनदार (अप्रतिभूत) :				
क) छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाये पड़े ऋण	**18515.78**		19456.06	
ख) अन्य ऋण	**17336.81**		13114.90	
	35852.59		32570.96	
घटाव : संदिग्ध के रूप में विचार किए गए ऋणऔर तदर्थ व्यवस्थित	**12880.45**		12950.28	
ठीक विचार किए गए ऋण		**22972.14**		19620.68
नकद और अधिकोषस्थ शेष :				
क) हाथ में नकद (टिप्पणी 2)	**149.32**		127.85	
ख) हाथ में चैक	**22.38**		0.10	
ग) अनुसूचित बैंकों में :				
1) चालू खाता	**1267.74**		775.33	
2) आवधिक जमा खाता	**38416.00**		46311.00	
		39855.44		47214.28
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ :				
क) जमों और अग्रिमों पर प्रोद्भूत ब्याज	**2181.02**		2209.61	
ख) बिल न की गई प्रचालनिक आय	**10556.42**	**12737.44**	6088.76	8298.37
आ.उधार और अग्रिम				
नकद के रूप में या वस्तु के रूप में वसूलीय या प्राप्तव्य मूल्य के लिए				
क) प्रतिभूत - सही विचार किए गए	**261.31**		322.91	
ख) अप्रतिभूत (टिप्पणी 3)	**1142.10**	**1403.41**	215.77	538.68
ग) अदा किया गया आय कर एवं स्रोत से काटा गया कर	**14775.67**		12314.14	
घटाव : आय कर के लिए प्रावधान	**8067.47**	**6708.20**	6415.87	5898.27
जमे :				
क) सीमा-शुल्क, डाक व तार		**6.09**		5.45
ख) अन्य		**647.20**		506.26
पूर्व-प्रदत्त व्यय :		**201.11**		98.02
दावे और अन्य प्रत्यादेय:	**2878.28**		1787.96	
घटाव : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	**11.82**	**2866.46**	11.82	1776.14
		11832.47		8822.82
सकल योग		**89656.47**		85003.72

टिप्पणी : 1.माल-सूचियों में आवक मार्गस्थ अतिरिक्त पुर्जे और भण्डार सामग्री रु.250.51 लाख (पिछले वर्ष रु.117.27 लाख) भी शामिल है ।

2. हाथ में जो नकद है, उसमें रु.0.01 लाख (पिछले वर्ष रु.0.06 लाख) का फ्रैंकिंग मशीन शेष भी शामिल है ।

3. नकद या वस्तु के रूप में वसूलीय अग्रिमों में निम्नोक्त भी शामिल हैं :

क) दौरा-अग्रिम (रुपये लाखों में)

	जैसा 31.3.2007 को था	वर्ष के दौरान अधिकतम राशि	जैसा 31.3.2006 को था	वर्ष के दौरान अधिकतम राशि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**0.00**	**1.80**	0.00	1.04
निदेशक (वित्त)	**0.00**	**1.01**	0.00	0.70
निदेशक (प्रचालन व प्राविधिक)	**0.74**	**0.44**	0.00	0.00

ख) पूँजीगत कार्यों पर अग्रिम रु.9.07 लाख (पिछले वर्ष रु.6.42 लाख)

अनुसूची-7 **चालू दायित्व और प्रावधान** (रुपये लाखों में)

	जैसा 31-3-2007 को था	जैसा 31-3-2006 को था
अ) चालू दायित्व :		
i) विविध लेनदार टिप्पणी (1)	**2780.34**	1264.79
ii) ठेकेदारों से जमे	**165.49**	143.64
iii) ग्राहकों से अग्रिम	**86.75**	394.82
iv) अन्य दायित्व	**11937.46**	10618.96
v) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु उधारों पर अदेय	**18.60**	27.75
vi) दावा नहीं किया गया लाभांश	**10.59**	7.14
	14999.23	12457.10
आ) प्रावधान :		
i) प्रस्तावित लाभांश के लिए	**2520.00**	2520.00
ii) लाभांश कर के लिए	**428.27**	353.43
iii) कर्मचारी की प्रसुविधाओं के लिए	**809.57**	662.98
iv) संविदात्मक अनिवार्यताओं के लिए	**40.11**	40.11
v) बकाई पड़ी शुष्क गोदीकरण मरम्मतों के लिए	**0.00**	1366.71
	3797.95	4943.23
	18797.18	17400.33

टिप्पणी :(1) विविध लेनदारों में निम्नोक्त शामिल हैं :

		(रुपये लाखों में)
क)	निम्नोक्त लघु औद्योगिकी उपक्रमों को देय राशियाँ, जिनको 30 दिनों से अधिक समय के लिए रु.1 लाख से अधिक राशि सहमत शर्तों के अनुसार बकाई पड़ी हैं :	शून्य
ख)	उपर्युक्त (क) से अन्य लघु उद्योगों को देय राशियाँ	शून्य

अनुसूची - 8 **प्रचालनिक आय** (रुपये लाखों में)

	31-3-2007 को समाप्त वर्ष	31-3-2006 को समाप्त वर्ष
निकर्षण और परिनियोजन	**39914.19**	36037.90
संचालन आय	**778.65**	898.56
चार्टरित आय	**726.98**	5442.52
बढी हुई आय	**9467.89**	7616.68
अन्य प्रचालनिक आय	**6407.52**	701.82
	57295.23	50697.48
घटाव : घटौतियाँ / बट्टे	**6.14**	7.59
	57289.09	50689.89

अनुसूची - 9 **अन्य आय** (रुपये लाखों में)

	31-3-2007 को समाप्त वर्ष	31-3-2006 को समाप्त वर्ष
ब्याज :		
i) आवधिक जमाराशियों पर (स्रोत से काटा गया कर रु.744.14 लाख, पिछले वर्ष रु. 384.97 लाख)	**3631.43**	2977.51
ii) गृह निर्माण और अन्य अग्रिमों पर	**27.91**	35.16
फुटकर आय (अनुसूची - 15 की टिप्पणी 2)	**1260.52**	586.06
	4919.86	3598.73

अनुसूची - 10 **प्रचालनिक व्यय** (रुपये लाखों में)

		31-3-2007 को समाप्त वर्ष		31-3-2006 को समाप्त वर्ष
प्रचालनिक कर्मचारियों को भुगतान और प्रसुविधाएं		**3003.16**		4019.13
भविष्य निधि और अन्य निधियों के लिए अंशदान		**87.91**		100.16
अतिरिक्त पुर्जे और भण्डार		**4534.97**		4418.78
मरम्मतें और अनुरक्षण	**5679.40**		3962.45	
जोड़ : नियत शुष्क गोदी मरम्मतों के लिए व्यवस्था	**0.00**		1366.71	
घटाव : नियत शुष्क गोदी मरम्मतों के लिए आगे अनपेक्षित प्रावधान	**(-)1336.71**	**4312.69**	(-)1000.00	4329.16
ईंधन और स्नेहक		**17173.77**		14560.05
बीमा		**417.97**		318.49
अन्य प्रचालनिक व्यय (अनुसूची-15 की टिप्पणी 3)		**5270.33**		1061.36
		34800.80		28807.13

अनुसूची - 11 प्रशासनिक व्यय

(रुपये लाखों में)

	31-3-2007 को समाप्त वर्ष		31-3-2006 को समाप्त वर्ष	
1. कर्मचारियों को भुगतान और प्रसुविधाएँ*		**1585.78**		1530.95
2. भविष्य निधि और अन्य निधियों के लिए अंशदान		**101.81**		90.96
3. निदेशकों के लिए पारिश्रमिक : (अनुसूची-15 की टिप्पणी 4)				
क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**5.28**		7.59	
ख) निदेशक (वित्त)	**7.99**		6.95	
ग) निदेशक (प्रचालन एवं प्राविधिक)	**5.47**	**18.74**	0.00	14.54
4. किराया		**29.50**		20.68
5. दरें और कर		**4.44**		7.94
6. अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 15 की टिप्पणी 5)		**1169.37**		981.56
		2909.64		2646.63

* इसमें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत अदा की गई राशियों के प्रति के रु.शून्य (पिछले वर्ष रु.67.09 लाख) भी सम्मिलित है ।

अनुसूची - 12 प्रावधान

(रुपये लाखों में)

	31-3-2007 को समाप्त वर्ष	31-3-2006 को समाप्त वर्ष
1. संदिग्ध ऋणों के लिए	**342.30**	790.21
2. बेकार अतिरिक्त पुर्जों और भण्डार के लिए	**30.36**	30.51
3. बिगड़ने से हुई हानि के लिए	**30.17**	1.50
	402.83	822.22

अनुसूची - 13 पूर्वावधि समायोजन

(रुपये लाखों में)

	31-3-2007 को समाप्त वर्ष		31-3-2006 को समाप्त वर्ष	
व्यय :	**नामे**	**जमा**	**नामे**	**जमा**
प्रचालनिक व्यय :				
1. मरम्मतें और अनुरक्षण	**0.00**	**0.00**	395.43	0.00
2. अन्य प्रचालनिक व्यय	**1.24**	**0.00**	47.58	0.00
प्रशासनिक व्यय :				
3. कर्मचारियों को भुगतान और प्रसुविधाएँ (तटीय अधिकारी एवं कर्मचारी)	**0.00**	**0.00**	14.94	0.00
4. अन्य स्थापनागत व्यय	**0.00**	**0.00**	974.26	0.00
	1.24	**0.00**	1432.21	0.00
आय :				
1. प्रचालनिक आय	**0.00**	**0.00**	0.00	59.64
2. अन्य आय	**0.00**	**0.00**	0.00	359.07
	0.00	**0.00**	0.00	418.71
निवल नामे	**1.24**	**0.00**	1013.50	0.00
जमे	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00

अनुसूची - 14 आगे अनपेक्षित प्रावधान जो फिर से खाते में डाल दिए गए

(रुपये लाखों में)

	31-3-2007 को समाप्त वर्ष	31-3-2006 को समाप्त वर्ष
संदिग्ध ऋणों और संविदात्मक देयताओं के लिए	**412.13**	184.25
	412.13	184.25

अनुसूची - 15 लेखों पर टिप्पणियाँ

1. समाश्रित दायित्व :

(रुपये लाखों में)

	31.3.2007 को समाप्त वर्ष	31.3.2006 को समाप्त वर्ष
क. प्रत्यय-पत्र	**531.09**	125.67
ख. इस समवाय के प्रति प्रस्तुत दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किए गए,	**438.29**	521.75
ग. पूँजीगत हिसाब पर निष्पादित होने को बाकी रह गई संविदाओं की प्राक्कलित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं रखा गया ।	**15240.32**	22913.85
घ. प्राप्त बिक्री कर माँगें, जिनके प्रति इस समवाय का विवाद चल रहा है ।	**674.21**	796.18
ङ. प्राप्त आय कर माँगें, जिनके प्रति इस समवाय का विवाद चल रहा है ।	**14665.82**	15092.67

अनुसूची - 15 जारी ...

2. 'फुटकर आय' का ब्यौरा (संदर्भ : अनुसूची - 9) (रुपये लाखों में)

	31-3-2007 को समाप्त वर्ष	31-3-2006 को समाप्त वर्ष
1. रद्दी, रिक्त और अनुपयोगी घोषित भण्डार सामग्री	**73.04**	23.51
2. किराया वसूलियाँ	**3.64**	4.70
3. अन्य ✻	**1183.84**	557.85
	1260.52	586.06

✻ अन्य में दर्शाया गया मूल्य 44.80 लाख का निवल मूल्य है, जो पिछले वर्षों के विषय में वापस किए गए बीमा दावों से संबंधित है (पिछले वर्ष रु.शून्य)। इसमें परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ के प्रति के रु.0.79 लाख (पिछले वर्ष रु.0.87 लाख) भी सम्मिलित है।

3. 'अन्य प्रचालनिक व्यय' का ब्यौरा (संदर्भ : अनुसूची - 10) (रुपये लाखों में)

	31-3-2007 को समाप्त वर्ष		31-3-2006 को समाप्त वर्ष	
1. आवास व्यय : जहाज़ी कर्मचारी वर्ग		**67.98**		68.34
2. यात्रा, वहन-शुल्क और वाहन-शुल्क - जहाज़ी कर्मचारी वर्ग		**69.32**		91.18
3. उपस्कर परिवहनगत व्यय		**311.83**		19.46
4. प्रत्यक्ष कार्यगत व्यय :				
क) बोट / अनुकर्षक भाड़ा प्रभार	**467.37**		168.56	
ख) क्रेन भाड़ा प्रभार	**8.44**		1.54	
ग) पाइपलाइन लगाने / निर्वाह के व्यय	**52.37**		34.20	
घ) ठेकेदारों को भुगतान	**50.77**		137.61	
ड.) अन्य (✻)	**3943.15**	**4522.10**	279.06	620.97
5. फुटकर व्यय		**299.10**		261.41
		5270.33		1061.36

✻ अन्यों में मध्यस्थ निर्णय के लिए अदा की गई रु.5.01 लाख (पिछले वर्ष रु.शून्य) राशि सम्मिलित है।

4. 'निदेशकों के वेतन और भत्ते' संबंधी ब्यौरे (संदर्भ : अनुसूची - 11) (रुपये लाखों में)

	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		निदेशक (वित्त)		निदेशक (प्रचालन व प्राविधिक)	
	31.03.2007✻ को समाप्त वर्ष	31.03.2006 को समाप्त वर्ष	31.03.2007✻ को समाप्त वर्ष	31.03.2006 को समाप्त वर्ष	31.03.2007✻ को समाप्त वर्ष	31.03.2006 को समाप्त वर्ष
1. वेतन	**4.59**	5.81	**7.30**	6.38	**5.04**	0
2. भविष्य निधि अंशदान	**0.40**	0.55	**0.62**	0.55	**0.43**	0
3. चिकित्सीय व्यय	**0.29**	1.23	**0.07**	0.02	**0**	0
	5.28	7.59	**7.99**	6.95	**5.47**	**0**

✻ वर्षांश के लिए

5. 'अन्य स्थापनागत व्यय' का ब्यौरा (संदर्भ : अनुसूची - 11) (रुपये लाखों में)

	31.03.2007 को समाप्त वर्ष		31.03.2006 को समाप्त वर्ष	
1. दान		**202.17**		0.00
2. यात्रा व्यय		**435.14**		340.10
3. अधिकोष प्रभार एवं प्रत्याभूति शुल्क		**21.06**		16.91
4. मुद्रण और लेखन-सामग्री		**30.40**		29.46
5. डाक-शुल्क, तार, दूरभाष और टेलेक्स		**43.90**		46.16
6. बीमा		**27.94**		16.90
7. भवनों, वाहनों और अन्यों की मरम्मतें और उनका अनुरक्षण		**67.02**		78.69
8. दत्त संसाधन पर व्यय		**23.16**		19.24
9. विज्ञापन और प्रचार		**22.82**		18.69
10. दैनिक और आवधिक पत्र-पत्रिकाएँ और ग्रंथालय की लागत		**12.67**		16.47
11. लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक :				
क) लेखा-परीक्षकों के रूप में	**2.50**		2.00	
ख) अन्य सेवाओं के लिए	**1.80**	**4.30**	1.91	3.91
12. कर संबंधी लेखा-परीक्षा शुल्क		**0.30**		0.30
13. विधिक सलाहकार शुल्क और व्यय		**6.70**		2.15
14. बिजली, पानी प्रभार		**31.64**		31.10
15. संगोष्ठियों पर व्यय		**12.92**		38.35
16. अनुसंधान एवं विकास व्यय		**0.00**		100.00
17. अन्य		**227.23**		223.13
		1169.37		981.56

6. विदेशी मुद्रा में आमदनी (रुपये लाखों में)

	31.03.2007 को समाप्त वर्ष	31.03.2006 को समाप्त वर्ष
निम्नोक्त से : 1) निकर्षकों के भाड़े पर देने से	**726.97**	5442.52
2) जारी किए गए अतिरिक्त पुर्जो एवं ईंधन इत्यादि की प्रतिपूर्ति से	**0.00**	746.87
	726.97	6189.39

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

अनुसूची - 15 जारी....

7. आयातों का मूल्य

(रुपये लाखों में)

	31.03.2007 को समाप्त वर्ष	31.03.2006 को समाप्त वर्ष
क) घटक और अतिरिक्त पुर्जे (लागत बीमा व भाड़ा मूल्य)	**2944.18**	3373.89
ख) खपत हुए आयाती अतिरिक्त पुर्जों और घटकों का मूल्य	**3846.19**	3573.79
ग) खपत हुए देशीय अतिरिक्त पुर्जों और घटकों का मूल्य	**197.95**	241.14
घ) खपत हुए कुल अतिरिक्त पुर्जों और घटकों के प्रति आयाती अतिरिक्त पुर्जों और घटकों की प्रतिशतता	**95.11**	93.68
घ) खपत हुए कुल अतिरिक्त पुर्जों और घटकों के प्रति देशीय अतिरिक्त पुर्जों और घटकों की प्रतिशतता	**4.89**	6.32

8. विदेशी मुद्रागत व्यय :

(रुपये लाखों में)

	31.03.2007 को समाप्त वर्ष	31.03.2006 को समाप्त वर्ष
क) विदेशी बैंकों से लिए गए उधारों पर अदा किया गया ब्याज	**212.26**	293.23
ख) यात्रा	**20.41**	28.81
ग) कमीशन एवं दलाली	**0.77**	11.72

9. सामान्य :

क) शेषों की पुष्टि माँगते हुए पत्र ग्राहकों को भेजे गए हैं और कुछ ग्राहकों से उत्तर प्रतीक्षित हैं ।

ख) ड्रेज-ऐक्वारिअस संबंधी अतिरिक्त उपकरणों और पुर्जों पर रु.1132.81 लाख का शुल्क लगाते हुए सीमा-शुल्क विभाग द्वारा इसके पहले जारी किए गए आदेशों को मान्यता न देते हुए सीगॉट न 2001-02 वर्ष के दौरान आदेश जारी किए । चूँकि वापसी की प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा, वापसी के प्राप्त होने पर निकर्षक की पूँजीगत लागत के प्रति आवश्यक समायोजन किए जाएँगे ।

ग) श्रमिक एवं सामग्री संबंधी दर-वृद्धिगत दावों को अद्यतन उपलब्ध सूचकांकों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है ।

घ) प्रति शेयर आमदनी

	जैसा 31-03-2007 को था	जैसा 31-03-2006 को था
1) कर के बाद लाभ (रुपये लाखों में)	**18872.95**	17646.16
2) भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या (नंबर)	**28000000**	28000000
3) प्रति शेयर मूल आमदनी (रुपयों में)	**67.40**	63.02

ङ) दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष केआस्थगित कर दायित्व/परिसंपत्ति के लिए आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत टन्नेज कर योजना के अपनाए जाने की दृष्टि से प्रावधान अपेक्षित नहीं है ।

च) दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के चालू कर दायित्व के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115फ न के अंतर्गत इस समवाय से अपनाई गई टन्नेज कर योजना के उपबंधों के अनुसार प्रावधान किया गया है और 'अन्य आय' के लिए आय कर अधिनियम, 1961 के प्रयोज्य उपबंधों के अनुसार प्रावधान किया गया है ।

छ) जलयानों को वितरित किए जानेवाले अतिरिक्त पुर्जे और भण्डार एवं ईंधन और स्नेहक संबंधी लेखाकरणगत कार्यनीति सं.4(क) में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, चालू परिसंपत्तियों में रु.1084.34 लाख की वृद्धि हुई और लाभ में रु:1084.34 लाख की वृद्धि हुई है ।

ज) शुष्क गोदी मरम्मतों संबंधी इसके पहले के लेखाकरणगत कार्यनीति सं.4(ग) को निकाल दिए जाने के फलस्वरूप, 'चालू दायित्व और प्रावधानों' में रु.1225 लाख की घटती हुई और लाभ में रु.1225 लाख की वृद्धि हुई है ।

झ) चूंकि न्यास में उपलब्ध निधि, बीमांकक से अनुमानित दायित्व से बढ गई, चालू वर्ष में उपदान दायित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

ट) आंकड़ों को लाख दशमलव में पूर्णांकित किया गया है ।

ठ) पिछले वर्ष के आंकड़ों को, चालू वर्ष के समूहों से अनुरूपता हेतु, जहाँ कहीं आवश्यकता हो, पुनस्समूहित किया गया है ।

अनुसूची-16 लेखाकरणगत कार्यनीतियाँ

1. वित्तीय विवरणियों की तैयारी का आधार :

क) वित्तीय विवरणियाँ, साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार ही, ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार की जाती है ।

ख) यह समवाय साधारणतया वाणिज्यिक लेखाकरण प्रणाली का अनुसरण करता है और प्रोद्भूति के आधार पर आय एवं व्यय की महत्त्वपूर्ण मदों को मान्यता देता है ।

2. प्रचालनिक आय

क) 31 मार्च तक निष्पादित कार्यों का, बिल न किया गया मूल्य, आय के रूप में विचार किया जाता है, यद्यपि बिल बाद में प्रस्तुत किए जाते हैं । तत्संबंधी नामे शेष - चालू
परिसंपत्तियाँ - बिल न की गई प्राप्तव्य प्रचालनिक आय के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं ।

ख) अनवेक्षित कार्यों / मदों के लिए ग्राहकों को प्रस्तुत दावे उनके द्वारा स्वीकृत होने पर आय के रूप में विचार किए जाते हैं ।

ग) स्थानस्थ आधार पर संभाले गए असंपूर्ण निकर्षण कार्यों से संबंधित आय का, 31 मार्च तक किए गए कार्य के अनुमानित वसूलीय मूल्य के आधार पर हिसाब लगाया जाता है ।

3. अन्य आय:

क) अनुपयोगी घोषित और बेकार अतिरिक्त पुर्जों, भण्डार सामग्रियों, रिक्त सामग्रियों, रद्दी ऑयल इत्यादि की बिक्री-आय का, निपटान वर्ष में लेखा-जोखा होता है ।

ख) आपूर्तिकारों से वसूल किए गए निर्धारित हर्जानों को, बिलों के अंतिम निपटारे पर लेखा-जोखा होता है ।

ग) कर वापसियों पर ब्याज का, प्राप्ति के आधार पर, हिसाब लगाया जाता है ।

घ) हल और मशीनरी बीमा दावों के विषय में, अंतिम निपटारा होने तक प्राविधिक विभाग के प्राक्कलनों के आधार पर, वसूलीय अधिक राशि या वास्तव में प्राप्त राशि के उपरांत, जो भी अधिकतर हो, दावा करने योग्य राशि का 80% बीमा दावों से आय के रूप में माना जाता है । जहाँ वास्तव में मरम्मतें पूरी नहीं हुई हों और/या मरम्मतकर्ताओं के साथ बिल निपटाए नहीं गए हों, वहाँ प्राविधिक विभाग के प्राक्कलनों के अनुसार, साथ ही साथ मरम्मत व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है । अन्य दावों के विषय में बीमाकर्ताओं से वसूली / निपटारे पर उनका हिसाब लगाया जाता है ।

4. प्रचालनिक व्यय :

क) अतिरिक्त पुर्जे और भण्डार :

वर्ष के दौरान नौयानों को वितरित किए जानेवाले और मास्टर / मुख्य अभियंता अधिकारी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त पुर्जे और भण्डार सामग्रियाँ, ऑयल तथा स्नेहक राजस्व को भारित किए जाते हैं । 31 दिसंबर तक नौयानों को प्रेषित उस सामग्री की खपत के प्रति लेखों में व्यवस्था की जाती है जिसके विषय में पावतियाँ प्राप्त नहीं होतीं ।

ख) बीमा :

भुगतान की जानेवाली बीमा किस्त के अंतिम समायोजनों को प्राप्त मांगों के आधार पर, लेखों में विचार किया जाता है ।

5. मूल्यह्रास :

समवाय अधिनियम की अनुसूची 14 के अनुसार, सरल पद्धति पर, मूल्यह्रास की व्यवस्था की जाती है । निम्नोक्त परिसंपत्तियों के विषय में, उन परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवनावधि के तकनीकी अनुमानों के आधार पर तैयार की गई दरों पर, मूल्यह्रास की व्यवस्था की जाती है :

क) पाइपलाइन उपस्कर : हल्की इस्पात पाइपलाइनों के लिए 25% और उच्च सांद्रतावाले पॉली एथिलीन पाइपलाइन उपस्करों के लिए 12.5% ।

ख) पुरानी परिसंपत्तियाँ : अनुमानित शेष उपभोग काल के अनुसार ।

ग) पट्टाधृत भूमि पर स्थित: पट्टाधृत भूमि पर निर्मित भवनों की लागत को पट्टे भवन की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है ।

घ) स्थिर परिसंपत्तियों की मदें, जिनकी लागत रु:5000/- (रुपये पाँच हज़ार केवल) से अधिक न हो, उनमें प्रत्येक को पूंजीकृत किया गया है और इस वर्ष के दौरान 100% मूल्यह्रासित किया गया है ।

ङ) ग्रंथालय की लागत : ग्रंथालय की लागत को अन्य स्थापनागत व्यय के रूप में विचार किया जाता है ।

6. स्थिर परिसंपत्तियाँ :

क)स्थिर परिसंपत्तियों के बारे में ऐतिहासिक लागत-घटाव-मूल्यह्रास पर उल्लेख किया जाता है (ऐतिहासिक लागत में वित्त लगाने की लागत और अन्य संबंधित उपरिव्यय भी सम्मिलित हैं) ।

ख)विशिष्ट स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित सहायक निधियाँ, बही-मूल्य आंकने में, संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दर्शाई जाती हैं ।

7. उधार लागत :

अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के कारण होनेवाली उधारी लागतों को उस परिसंपत्ति की लागत के अंश के रूप में, उस परिसंपत्ति के उपयोग किए जाने के समय तक, पूंजीकृत किया जाता है । अन्य उधारी लागतों को उस समय के व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जिसके दौरान वे उपगत होती हैं ।

8. अतिरिक्त पुर्जों और भण्डार सामग्रियों का स्टॉक :

क) अतिरिक्त पुर्जों और भण्डार सामग्रियों के स्टॉक को भारित औसत लागत पर मूल्यांकित किया जाता है और उसमें निम्नोक्त भी शामिल हैं :

1) पूरे माल के लिए लागू होनेवाला सीमा-शुल्क, यदि कोई हो, और

2) पूर्व-निश्चित दर पर उपरिव्यय ।

ख)पुन:सुसज्जित अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य, पुन:सुसज्जन की लागत पर लगाया जाता है ।

ग)किसी वर्ष के 31 मार्च को या उसके पहले विदेशी आपूर्तिकारों से प्रेषित सामग्रियों के मूल्य को, उसी वर्ष के लेखों में विचार किया जाता है, बशर्ते प्रेषण प्रलेखों का पूर्व भुगतान या स्वीकृति लेखा वर्ष की समाप्ति के 15 दिन के अंदर ही हो ।

9. निवेशन :

निवेशनों को दीर्घावधिक तौर पर समूहित किया जाता है और उनको लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

10. कर्मचारी प्रसुविधाएँ :

क) जीवनांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान दायित्व के लिए व्यवस्था की जाती है ।

ख)कार्यमुक्त होते समय पूरी छुट्टी के निपटारे के लिए हकदार जहाज़ी कर्मचारी वर्ग के कर्मी दल और मासिक वेतन कर्मकारों को छोड़कर वास्तविक मूल्यन के आधार पर छुट्टी भुनाने हेतु प्रावधान किया जाता है । इस मामले में प्रावधान 31 मार्च तक उन कर्मचारियों के खाते में रही छुट्टी के लिए किया जाता है ।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर स

(ए.के.धर)
निदेशक (वित्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(के.किरीटि)
महा प्रबंधक (वित्त)

(कमडोर जी.वी.रत्नम)
निदेशक (प्रचालन एवं प्राविधिक)

(के.अश्विनी श्रीकान्त)
समवाय सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.06.2007

हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार
कृते श्रीराममूर्ति एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

(डी.प्रसन्न कुमार)
भागीदार

स्थान : विशाखपट्नम
दिनांक: 29.06.2007

सामाजिक उपरिव्ययों पर उपगत व्यय

(रुपये लाखों में)

	31.03.2007 को समाप्त वर्ष		31.03.2006 को समाप्त वर्ष	
1. पट्टाधृत आवास गृहों पर किराया	**35.20**		37.16	
घटाव : वसूली	**3.64**	**31.56**	4.70	32.46
2. चिकित्सीय व्यय (तटीय कर्मचारी वर्ग)		**100.18**		83.53
3. छुट्टी यात्रा रियायत (तटीय कर्मचारी वर्ग)		**61.76**		63.76
4. परिवहन सहायता		**3.63**		3.19
5. जलपान सहायता		**29.99**		30.78
6. आवासीय गृह व्यवस्था पर मूल्यह्रास		**0.60**		0.60
		227.72		214.32

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

तुलन-पत्र सार और समवाय की साधारण व्यापार परिच्छेदिका

1. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या : 008129 — **राज्य संहिता : 55**

तुलन-पत्र की तिथि : 31 (दिनांक) 03 (मास) 2007 (वर्ष)

2. वर्ष के दौरान लगाई गई पूँजी (राशि रुपये हज़ारों में)

पब्लिक इश्यू	राइट्स इश्यू
शून्य	शून्य
बोनस इश्यू	निजी श्रेणीकरण
शून्य	शून्य

3. निधियों के संचालन और परिनियोजन की स्थिति : (राशि रुपये हज़ारों में)

कुल दायित्व	कुल परिसंपत्तियाँ
011632615	011632615

निधि स्रोत

प्रदत्त पूँजी	आरक्षितियाँ और अधिशेष
00280000	011051055
प्रतिभूत उधार	अप्रतिभूत उधार
0	00301560
आस्थगित कर दायित्व	
0	

निधियों का अनुप्रयोग

निवल स्थिर परिसंपत्तियाँ	निवेशन
004401685	000145001
निवल चालू परिसंपत्तियाँ	फुटकर व्यय
007085929	शून्य
संचित हानियाँ	
शून्य	

4. समवाय का निष्पादन (राशि रुपये हज़ारों में)

	पण्यावर्त		कुल व्यय
	006220895		004157040
+ ✓ -	कर के पहले लाभ / हानि	+ ✓ -	कर के बाद लाभ / हानि
	002063855		001887295

(कृपया सही बाक्स में टिक लगाएँ, लाभ के लिए + हानि के लिए -)

प्रति शेयर आमदनी (रुपयों में)	लाभांश की दर %
0000067	150

5. समवाय के तीन प्रधान उत्पादनों / सेवाओं के जातिगत नाम :
(वित्तीय शर्तों के अनुसार)

मद संहिता संख्या : अविनिर्दिष्ट
(आई.टी.सी. कोड)

उत्पादन विवरण : निकर्षण सेवाएँ

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(ए.के.धर)
निदेशक (वित्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(के.किरीटि)
महा प्रबंधक (वित्त)

(कमडोर जी.वी.रत्नम)
निदेशक (प्रचालन एवं प्राविधिक)

(के.अश्विनी श्रीकान्त)
समवाय सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.06.2007

हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार
कृते श्रीराममूर्ति एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

(डी.प्रसन्न कुमार)
भागीदार

स्थान : विशाखपट्नम
दिनांक : 29.06.2007

31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष का खण्डात्मक प्रतिवेदन

(रुपये लाखों में)

क्र.स.	विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष
1	**खण्डात्मक राजस्व :**		
	खण्ड - क : - निकर्षण कार्यकलाप	**56562**	44619
	खण्ड - ख : - चार्टरिंग कार्यकलाप	**727**	6071
	अन्य	**0**	0
	कुल	**57289**	50690
	घटाव : - खण्डांतर राजस्व	**0**	0
	प्रचालनों से निवल आय	**57289**	50690
2	**खण्डात्मक परिणाम :** (लाभ (+)/ हानि (-) कर से पहले और प्रत्येक खण्ड से ब्याज)		
	खण्ड - क : - निकर्षण कार्यकलाप	**15297**	10426
	खण्ड - ख : - चार्टरिंग कार्यकलाप	**632**	3449
	अन्य	0	0
	कुल	**20849**	17474
	घटाव : 1) ब्याज	**210**	291
	2) आय का अन्य अनाबंटनीय व्यय निवल	**0**	0
	कुल कर-पूर्व लाभ	**20639**	17183
3	**लगाई गई पूँजी :** (खण्डात्मक परिसंपत्तियाँ - खण्डात्मक दायित्व)		
	खण्ड - क : - निकर्षण कार्यकलाप	**100488**	75380
	खण्ड - ख : - चार्टरिंग कार्यकलाप	**67**	25569
	अन्य	**0**	0
	कुल	**100555**	100949

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर स

(ए.के.धर)
निदेशक (वित्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(के.किरीटि)
महा प्रबंधक (वित्त)

(कमडोर जी.वी.रत्नम)
निदेशक (प्रचालन एवं प्राविधिक)

(के.अश्विनी श्रीकान्त)
समवाय सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.06.2007

हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार
कृते श्रीराममूर्ति एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

(डी.प्रसन्न कुमार)
भागीदार

स्थान : विशाखपट्नम
दिनांक: 29.06.2007

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

सेवा में
निदेशक मण्डल,
ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

हमने इससे अनुलग्न, दिनांक 31.03.2007 को समाप्त अवधि की, ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड की नकद प्रवाह विवरणी की परीक्षा की है । यह विवरणी उक्त समवाय द्वारा , शेयर बाज़ारों के साथ हुए सूचीकरण समझौतों के खण्ड वाक्य 32 की अपेक्षाओं के अनुसार ही, तैयार की गई है और यह उक्त समवाय के सदस्यों की सेवा में दिनांक को प्रस्तुत हमारे प्रतिवेदन से आवरित उक्त समवाय के संगत लाभ-हानि लेखे और तुलन-पत्र के अनुरूप हैं ।

कृते श्रीराममूर्ति एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

(डी.प्रसन्न कुमार)
भागीदार

दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष की नकद-प्रवाह विवरणी (रुपये लाखों में)

		31-3-2007 को समाप्त वर्ष		31-3-2006 को समाप्त वर्ष
अ. प्रचालनगत कार्यकलापों से नकद-प्रवाह :				
कर के पहले लाभ		**20638.55**		17183.35
घटाव / जोड़ : परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		**(-)0.79**		(-)0.87
		20637.76		17182.48
निम्नोक्त के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास	**3658.31**		3709.15	
बिगड़ने से हुई हानि	**30.17**		1.50	
ब्याज व्यय	**209.71**		290.89	
ब्याज आय	**(-) 3659.34**	**238.85**	(-) 3012.67	988.87
कार्यशील पूँजीगत परिवर्तनों से पहले प्रचालनगत लाभ		**20876.61**		18171.35
कार्यशील पूँजीगत परिवर्तन :				
माल-सूची में वृद्धि / घटती	**(-) 1211.41**		305.92	
विविध देनदारों में वृद्धि / घटती	**(-) 3351.46**		(-) 5365.37	
अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि / घटती	**(-) 6667.39**		(-) 261.19	
व्यापार देय में वृद्धि / घटती	**1331.16**	**(-) 9899.10**	4862.36	(-) 458.28
प्रचालनों से उत्पन्न नकद		**10977.51**		17713.07
घटाव : अदा किया गया ब्याज	**(-) 218.86**		(-) 300.05	
अदा किए गए आय कर	**(-) 2575.53**	**(-) 2794.39**	(-) 3673.19	(-) 3973.24
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकद (अ)		**8183.12**		13789.83
आ. निवेशनगत कार्यकलापों से नकद प्रवाह :				
स्थिर परिसंपत्तियों का क्रय		**(-) 11921.36**		(-) 2619.05
उपस्कर बिक्री फल		**3.45**		1.75
प्राप्त ब्याज		**3687.93**		2368.37
निवेशन		**(-) 900.00**		(-) 450.00
निवेशनगत कार्यकलापों से निवल नकद (आ)		**(-) 9129.98**		(-) 698.93
इ. वित्त पोषणगत कार्यकलापों से नकद-प्रवाह :				
दीर्घावधिक उधारों से आय		**0.00**		0.00
दीर्घावधिक उधारों का भुगतान		**(-) 1622.93**		(-) 1622.92
अदा किया गया लाभांश	**(-) 4200.00**		(-) 3920.00	
निगमित लाभांश कर	**(-) 589.05**	**(-) 4789.05**	(-) 549.78	(-) 4469.78
वित्त पोषणगत कार्यकलापों से निवल नकद (इ)		**(-) 6411.98**		(-) 6092.70
नकद में निवल वृद्धि / घटती और नकद सममूल्य (अ+आ+इ)		**(-) 7358.84**		6948.20
दिनांक 01.04.2006 तक का नकद और सममूल्य (रोकड़ जमा)		**47214.28**		40266.08
दिनांक 31.03.2007 तक का नकद और सममूल्य (रोकड़ शेष)		**39855.44**		47214.28

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(ए.के.धर)
निदेशक (वित्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(के.किरीटि)
महा प्रबंधक (वित्त)

(कमडोर जी.वी.रत्नम)
निदेशक (प्रचालन एवं प्राविधिक)

(के.अश्विनी श्रीकान्त)
समवाय सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.06.2007

हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार
कृते श्रीराममूर्ति एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

(डी.प्रसन्न कुमार)
भागीदार

स्थान : विशाखपट्नम
दिनांक : 29.06.2007

दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए विशाखपट्नम स्थित ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड के लेखों पर समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31.03.2007 को समाप्त वर्ष के लिए विशाखपट्नम स्थित ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों की तैयारी समवाय अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुरूप तैयार करने की ज़िम्मेदारी इस समवाय की प्रबंधन समिति की है, समवाय अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक से नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक, उनके वृत्तिक निकाय भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान से निर्धारित लेखा-परीक्षा और आश्वासनगत मानकों के अनुसार की जानेवाली स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर, समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का ज़िम्मेदार है । यह उनके दिनांक 29.06.2007 के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन द्वारा कहा गया है कि ऐसा ही निभाया गया है ।

मैंने समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की ओर से, विशाखपट्नम स्थित ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड की, दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा आयोजित की है । यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई और प्रधानतया सांविधिक लेखा-परीक्षकों और इस समवाय के कर्मचारी वर्ग की जाँचों तथा चुने गए कुछ लेखा अभिलेखों की परीक्षा तक ही सीमित है । मुझसे की गई इस लेखा-परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण अंश नहीं पाया गया, जिससे कि समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन पर या उसकी अनुपूरक कोई अभ्युक्ति की जा सके ।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

(जी.एन.सुन्दर राजा)
प्रधान वाणिज्य लेखा-परीक्षा निदेशक एवं
पदेन सदस्य, लेखा-परीक्षा मण्डल

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 14.08.2007